

समय माया



R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DILLW & P M

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 9 अंक 18

प्रति सोमवार इंदौर, 15 से 21 दिसंबर 2014

पृष्ठ 8

मूल्य 2/- रुपए

बाजारवाद में जनधन खर्च कर अपनी लोकप्रियता सिद्ध करने का औचित्य

पूँजीपतियों की कठपुतली, नौटंकीबाज मोदी, मत करो देश गिरवी

विपक्ष में थे, तब सीधे विदेशी निवेश का विरोध करते थे, सत्ता में आने पर निमंत्रण



नमो को प्रधानमंत्री बन सत्ता संभाले 6 माह गुजर गए, विदेशों यथा अमेरिका में बसे 30 लाख भारतीयों और सरकारी जन-धन से अमेरिका, आस्ट्रेलिया व अन्य देशों में, नमो-नमो ने जहां की भी यात्राएं की, जाने से महीनों पूर्व

वहां के प्रचार माध्यमों पर वहां बसे भारतीयों व सरकारी धन से भारी प्रचार-प्रसार कर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई गई, बेशक न केवल अमेरिका वरन् आस्ट्रेलिया में अनिवासी भारतीयों ने वहां की बहुराष्ट्रीय कं. को लालच देकर उनसे भी मोदी के प्रदर्शन के लिए धन का उपयोग किया, निसंदेह आस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान में भारतीयों का

सम्मान बढ़ा। यहां इस तथ्य को भी पाठकों को समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे मोदी के वर्तमान सिपहसालारों की यही फौज सन् 2000 से 2004 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी

को भी हांकती थी, फिर इसी जालसाज भ्रष्ट और पूँजीपतियों, उद्योगपतियों, दलालों से रिश्ते रखने वाली यही फौज पूर्व प्रम. मनमोहन को भी हांकती, चलाती और सलाह देती रही, और अब यही चांडालों की फौज अब मोदी को हांक चला और कठपुतली की तरह नचा रही है, जिसे वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करने की आदत है, उसे रु. 1000-2000 करोड़ की रिश्तत भी बहुत छोटी लगती है। इसी फौज के जिसमें अधिकांश इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी हैं, जिनके रिश्तेदार विदेशों में इन बहुराष्ट्रीय कं. के बड़े पदों पर इसीलिए बैठाए गए हैं, कि वो भारत में बैठे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ कर, साम, दाम,दंड, भेद का उपयोग कर, इस देश में पैर जमाने में उनका मदद करें या करेंगे, इन जालसाज

धूर्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री अटल है, मनमोहन है, या मोदी है। उन हरामखोरों की फौज को हर काम में करोड़ों का धन चाहिए, जब तक ये जालसाजों की फौज तितर-बितर नहीं की जाती, तब तक साक्षात कृष्ण उन सपेलों की लॉबी में बैठकर उनकी मर्जी के बिना न तो मुंह खोल सकते हैं और न एक कदम चल सकते हैं। इन जालसाजों के केन्द्र व राज्यों के हर मंत्रालय में बैठे इन सभी धूर्तों के सहयोगियों का जला फैला हुआ है, जो इन घोर शोषणकारी बहुराष्ट्रीय कं. जिनमें बैंकर्स, बीमा, वालमार्ट, मेकडानलड, पिजा, हिन्दुस्तान लीवर, रिलायंस, इंडियन टोबेको कं. बिरला, टाटा, अडानी, करगिल जैसी कं. जो दुनिया में, देश में पूँजीवादी शोषण की मिसाले हैं। (शेष पेज 8 पर)

चेचेन्या में नाटो की घुसपैठ और रूस को घेरने की साजिश रूस पर प्रतिबंध क्यों? और पाक को सहायता

पूरी दुनिया जानती है पिछले 43 वर्षों का इतिहास, सन् 1971 की लड़ाई के बाद से पाकिस्तान न ने पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद से भारत से काश्मीर को अलग करने के लिए जो षडयंत्र रचने और वहां आतंकी गतिविधियां चलाना शुरू कर दी थीं जिसे अमेरिका और युरोपीय देशों का खुला समर्थन दिया जा रहा है।

बेशक अमेरिका ने अपने यहां भले ही आतंकवादी तैयार नहीं किए परंतु दुनिया में आतंकवाद और आतंकी षडयंत्रों को भरपूर संरक्षण दिया, ओसामा बिन लादेन और तालिबान को अफगानिस्तान से रूसी फौजों को भगाने और उस पर कब्जा करने के लिए 70-80 के दशक में इसी अमेरिका ने उसे पाला पोसा बढ़ा किया और इसके लिए आर्थिक, सामरिक और वैश्विक प्रचार माध्यमों से खुलकर सहयोग किया। अमेरिका यहां रुका नहीं वरन उसने अफगानिस्तान की आड़

अमेरिका स्वीकारता है, पाकिस्तान आतंकवादी उत्पादन की फैक्ट्री है, फिर भी देता है सहायता, उस पर नाटो और अमेरिका क्यों नहीं लगाते प्रतिबंध

में, सोवियत रूस के भी खंड-2 बिखेर कर 26 राज्यों को राष्ट्रों में बदल दिया जो कि उसका हर कदम उस काल का सबसे बड़ा शत्रु, सामारिक प्रतिद्वंदी, वैश्विक हथियारों के बाजार में सीधी बड़ी टक्कर देने वाला प्रतिस्पर्धी था, उसे नष्ट भ्रष्ट करने में न केवल अमेरिका वरन उसके यूरोपीय चमचों की फौज नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त शैतान संघ जो उसकी वैश्विक जनसंपर्क एजेंसी के रूप में पूरी दुनिया के देशों को सहायता व अन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों के लिए कच्चे माल और (शेष पेज 2 पर)

श्रम कानून बाप की जागीर नहीं, 16 श्रम कानूनों की समाप्ति

भाजपा पूँजीपतियों की रखैल करवायेगी श्रमिकों का घोर शोषण

रु. 1000 करोड़ से ज्यादा में हुआ सौदा, सुलेमान ने धमकाकर करवाए हस्ताक्षर

केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकारें अब पूर्णतः पूँजीपतियों की रखैल बन, जनता के शोषण और पूँजीपतियों के पोषण में समर्पित है। जिन्होंने जनता से हर दिन रु. हजारों करोड़ लूटकर, मोदी की 800 से ज्यादा सभाओं के लिए रु. 80000 करोड़ फिर प्रसार माध्यमों के लिए भी हजारों करोड़ जिसमें फेसबुक, ट्वीटर पर मोदी के कसीदे पढ़ने और यथार्थ को छुपाने जिलों के जिलाधियों और मु.का. अ. को खरीद कर चुनाव जिताने में जी जान लगा कर मोदी को जितवाया। आखिर उन पूँजीपतियों की अगले पांच वर्ष भाजपा की सरकारों को जी हुजुरी करनी ही होगी, उसके लिए वो न केवल कानून बदलने और समाप्त करने के साथ ही संविधान संशोधन से भी नहीं चूकेगी। भारत में लागू सारे 54 से ज्यादा श्रम कानून तो अंग्रेजों ने बनाए और आजादी के

बाद में भारत सरकार ने वरन, भारत में लागू अधिकांश श्रम कानून अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पूरी दुनिया के श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध और उनके दीर्घावधि तक स्वास्थ्य रहकर काम करने रहने के लिए दबाव के अंतर्गत अंग्रेजों और भारत सरकार ने बनाए और श्रमिकों के हित में लागू किए, भारत में इनते सारे श्रम कानून लागू होने के बाद भी न केवल भारत में ही चीन के बाद सबसे ज्यादा न केवल बाल श्रमिक, बंधक, मजदूरों, श्रमिकों के कार्य क्षेत्र का अस्वस्थ कर वातावरण मिलता है जिसमें न केवल मजदूरों की कार्यक्षमता गिरती है वरन् पर्याप्त मजदूरी के अभाव में परिवार का पालन पोषण संभव नहीं होता।

54 से ज्यादा कानून श्रमिकों के समुचित हितों को ध्यान में रखते हुए पूँजीपतियों के शोषण के विरुद्ध बनाए व लागू किए गए थे, परंतु

मोदी और मप्र की भाजपा सरकार उन कानूनों को अपने बाप की जागीर समझ अध्यादेश लाकर समाप्त करके जनता की ओर भविष्य की पीढ़ियों की क्या संदेश देना चाहती है कि भले ही भारत में लोकतंत्र हो कहने मात्र के लिए, पर जिस जनता ने हमें चुन कर 5 वर्ष के लिए भेजा है। हम इसे लूटतंत्र में बदलकर यथार्थ में लूटेरे और सफेदपोश डकैत है। हमें पूँजीपति पैसा देगा हम उसको लूटने के लिए पूरा तंत्र ध्वस्त कर कानून समाप्ति की तो ठीक हमें संविधान भी बदलने को तैयार है। यहां तो हम सब अपनी लूट के लिए सब बैचने को तैयार है। यहां तो हम सब अपनी लूट के लिए सब बैचने और बदलने तैयार है। बस धन खर्च करने वाला चाहिए हमें कदापि मतलब नहीं कि उस पूँजीपति ने कैसे छल-कपट,

(शेष पेज 11 पर)

क्या भाजपा, कांग्रेसियों द्वारा बेकसूर, जेलों में डाले गए हिन्दुओं के साथ न्याय करेगी ? या

मोदी सरकार भी चुप रहेगी, पुलिस एटीएस, एनआईए व अन्य के कुकृत्यों पर

सरकारी कानूनी गुंडे हैं, पुलिस का काम निरीहों का शोषण और अपराधियों का पोषण

पूरे भारत में हर दिन अखबारों में पुलिस, एटीएस, सीबीआई, एनआईए व अन्य अनेकों जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार, अपराधियों को संरक्षण देने, वसूली करके निर्दोषों को फंसाने, गुंडों, शराब, नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले अवैध वसूली करने वालों, जुए, सट्टे, वैश्यावृत्ति के अड्डे चलाने वाले गिरोहों को संरक्षण देकर महीना वसूली करने के समाचारों से भरे पड़े रहते हैं। बेशक पुलिसयै अधिकारी, थानेदार, दैनिक समाचार पत्रों को उनके नगर और अपराध क्षेत्र को देखने वाले पत्रकारों को भी महीना बांटती हैं, सत्ताधीश मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों, भूमाफियाओं, बड़े गिरोह, पूँजीपतियों के इशारे पर न केवल नाचती है, वरन उनके कार्यों पर में बाधा बनने वालों, विरोध में स्वर मुखर करने वालों को निर्दोष होने पर भी झूठे प्रकरणों

में फंसाकर जेलों में सड़ाने से भी नहीं चूकती जिसके लाखों उदाहरण पूरे देश में, न्यायालयों की टिप्पणियों में प्रमाणित है। यहां तक कि पैसा मिलने पर फरियादी को अपराधी और अपराधी को फरियादी बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है, यहां तक कि सत्ताधीश कांग्रेस ने उच्च वर्गीय हिन्दुओं को, हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने का दंभ भरने वाली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बदनाम करने, हिन्दुओं को आतंकित करने के लिए अपने शासनकाल में सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं को अपनी विभिन्न एजेंसियों एटीएस, एनआईए, सीबीआई, क्षेत्रीय राज्यों की पुलिस ने एक तरफ तो वास्तविक अपराधियों को बचाया तो दूसरी तरफ हिन्दू साधु असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, श्याम साहू, मैजर रमेश उपाध्याय, श्री सुधाकर चतुर्वेदी, श्री समीर कुलकर्णी, श्री

एके धावड़े, श्री अजय राहिरकर, श्री शिवनारायण कलासंग्रा, श्री जगदीश म्हात्रे, स्वामी नंद देवतीर्थ आदि जिन्हें इन जालसाज धूर्त मक्कार कांग्रेसियों के इशारे पर झूठे षडयंत्र बनाकर मालेगांव ब्लास्ट में गिरफ्तार विभिन्न जेलों में निर्दोषों को सड़ाया तो दूसरी तरफ मुस्लिम सिमी, इंडियन मुजाहिदीन व अन्य आतंकी गुटों को संरक्षण देकर राष्ट्र द्रोह का कृत्य किया।

इस प्रकार कांग्रेसी श्वानों ने जहां कांग्रेस को वोट देने के लिए पूरे देश के हिन्दुओं को आतंकित कर, मुस्लिमों को वोट के लिए उनके हर कूकृत्यों पर आंखभींच कर सिद्ध किया कि तुम हमें वोट के बदले विस्फोट करो हिन्दुओं से वसूली करो, सब चलेगा, वही हाल समझोता एक्सप्रेस के बम कांड में इन सुरक्षा एजेंसियों ने किया। मालेगांव बम विस्फोट आदि में भी किया, (शेष पेज 9 पर)

संपादकीय

प्रदर्शन और वास्तविकता

राष्ट्र के वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी और उसके खास सहयोगी अमित शाह ने मिलकर राष्ट्र के प्रसार माध्यमों जालसाज, धूर्त पूंजीपतियों उद्योगपतियों के धन से खरीद, आधुनिक वैद्युतकीय मंच सज्जा से राष्ट्र की महाभ्रष्ट, जालसाज धूर्त प्रशासनिक व्यवस्था को खरीदकर, जो जीत के लिए प्रदर्शन कर सता हथियाई, ने सिद्ध कर दिया कि, भ्रष्टाचार और जालसाजी से जनता को भ्रमित कर उसे सुविधा भोगी बनाकर उसे आसानी से लूट व भ्रमित कर सताएं हथियाई जा सकती है।

बिलकुल फिल्मी तरीके से, जैसे फिल्मों के नायक-नायिका वास्तविक जीवन में कितने ही बड़े अपराधी, चरित्रहीन, वैश्याओं से गंदा जीवन जीने वाले पर्दे पर तो अपने आपको नायक-नायिका सिद्ध कर ही देते हैं। भले ही उनकी ये फिल्में आम सामाजिक जीवन में जहर घोल रही हो।

अब जबकि प्रदर्शन, चकाचौंध और भारी विपणन के आधार पर सत्ता हाथ में आ गई और जब वास्तविकता में सत्ता चलाना पड़ रही है तो अपने ही वादे, कालाधन लाने भ्रष्टाचार दूर करने, महंगाई कम करने, सबको काम देने, अब जब सत्ता में बैठकर संसद में, वास्तविकता में इस वादों को पूरा करने की मांग उठ रही है, तो विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं। संसद, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बैठक बुलाकर सबको मनाने की कोशिश की जाती है, आखिर क्यों? अब तो पूर्ण बहुमत है, अब क्यों चुनावी मंच पर, वैद्युतकीय चकाचौंध में दहाड़ने वाले अब भीगी बिल्ली बन यहां वहां मुंह छिपाते फिर रहे हैं। क्यों डर लगता है सांसद और विधानसभाओं में इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को विपक्ष का यथार्थ में सामना करने से, फिर मंत्र के मुख्यमंत्री शिवराज का पिछले पूरे नौ वर्षों का इतिहास रहा है कि उसने खुलकर भ्रष्टाचार, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, भूमाफियाओं, कालोनी माफियाओं के लिए कानून बदले, उनकी कठपुतली बन नाचा और जब विधानसभा में विपक्ष सामना करने की बात उठी तो कोई भी सत्र बिना पूरे किए, किसी न किसी बहाने सत्रों का निश्चित समय पूरा किए अवसान कर दिया, क्यों वास्तविकता से इतना डर लगता है।

भ्रष्टाचार दूर करने का मंच पर वादा करने वाले, दूसरी पार्टियों के सत्ता में रहते यही भाजपा भारी प्रदर्शन करती थी। एफडीआई का विरोध करती थी। वहीं सत्ता में आते ही अब हर भारी उद्योग, सेवा प्रदाता यथा बैंकिंग, बीमा रेलवे, विद्युत, सड़कों आदि में स्वयं खुले में मंजूरी देकर यथार्थ में देश के संसाधनों के विदेशियों को सौंप पुनः राष्ट्र को गुलामी की ओर धकेल रही है, अब यही धूर्त मक्कार भुखरे जानवरों की पार्टी वास्तविकता में पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली बन लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल जनता के शोषण की खुली छूट दे रही है। उनके लिए 16 श्रम कानूनों में शिथिलता दे दी गई, उनकी लूट और शोषण के लिए खुले में कानून तक बनाए व समाप्त किए जा रहे हैं। क्यों हर नेता की यही वास्तविकता है, धरने प्रदर्शन करने वाले सत्ता में आते ही स्वयं कमिशनखोरी में व्यस्त हो जनहित भूल जाते हैं। क्या हुआ 56 इंच चौड़े सीने का, जो लोकसभा और राज्य सभा में चंद मुडीभर, बिना नेता के हैं, उनका सामना करने, उनके आरोपों का जवाब देने में क्यों दिसंबर की दिल्ली में पसीना आ रहा है।

म.प्र. औद्योगिक भ्रष्टाचार विकास निगम
एमडी के घर फूटे 50 लाख के फटाखे, लूट के धन से

सूचना के अधिकार में 3 माह बाद भी गिद्धों की फौज जानकारी देने को तैयार नहीं

म.प्र. का मु.मं. शिवराज इंदौर को भले ही प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बनाने का पिछले 8 वर्षों से निरंतर प्रयास कर रहा हो, परंतु म.प्र. औद्योगिक केन्द्रीय विकास निगम के राज्य मुख्यालय भोपाल से प्रदेश के आठों एकेवीएन जिसमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर आदि में एमडी से लेकर बाबुओं की गिद्ध धूर्त फौज वर्षों से कुंडली मारकर अजगर की तरह चिपकी बैठी है। सारे-प्रयासों को भ्रष्टाचार के माध्यम से निरर्थक बनाने पर तुली है।

इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज एक तरफ तो वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के नाम पर अरबों रुपए विदेश यात्राओं पर, रोड शो के नाम पर बर्बाद कर रही है, इस तरफ पूरे प्रदेश के पूर्व से लगे उद्योगों को न केवल घोर अवहेलना कर उन्हें बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है, उन्हें न केवल बिजली, पानी, सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर परेशान किया जाता है, फिर नए उद्योगों को उद्योगपतियों उद्योग लगाने के लिए सस्ती 24 घंटे बिजली पानी और अच्छी सड़कें कर लाभ आसान कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जबकि पुराने उद्योगों को मात्र दरों पर कटौती के साथ बिजली महंगी, खराब सड़कें, भारी पट्टे का किराया आदि भारी करों के बोझ से परेशान होकर फैक्ट्री बंद करके भागने के लिए मजबूर है।

यथार्थ यह है कि अकेले इंदौर में बैठे धूर्त प्र.सं. मनीष सिंह लेकर नीचे महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों, प्रबंधकों, इंजीनियरों जो अधिकारी, उद्योग, विभाग, लो.स्वा.यां, लो.नि.वि. आदि से आयातित हैं। वर्षों से कुंडली मारकर बैठे भ्रष्टाचार से, कुछ करोड़ों, कुछ अरबों की भी संपत्तियां बन चुके हैं। किसानों व अन्य के भू-अधिग्रहण में ली

जा रही और कृषि भूमि उद्योगों के लिए नष्ट की जाकर आवंटन के साथ यह फिर विकास के नाम पर सड़कें, पाइप डालने, विद्युत स्टेशन बनाने, प्लांट विकसित करने के नाम पर न केवल हर नए औद्योगिक क्षेत्र विकास के नाम पर किया जा रहा है, यह कहानी केवल इंदौर वरन पूरे म.प्र. के सभी औद्योगिक विकास केन्द्रों के सभी औद्योगिक क्षेत्रों की हैं, जिसमें कुछ में तो 50% से 70% तक का खेल किया जाता है, बेशक यह पैसा प्र. संचालकों से लेकर, सचिव, प्रधान सचिव के पद पर बैठा आजमगढ़िया आतंकवादी सुलेमान, उद्योग मंत्री यशोधरा राजे और मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, यही कारण है कि यहां बैठे महाधूर्त और मक्कार अफसरों की फौज अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने सूचना के अधिकार में जानकारी देना नहीं चाहती, श्री अजमेरा ने 27/5/14 को सूचना के अधिकार में आवेदन दिया था, जिसे जब पूरा जून 14 निकल जाने के बाद भी नहीं दिया गया तो, 10/7/14 को अपील की गई, इसके संबंध में भी इन हरामखोरों ने महीने भर तक कोई ध्यान नहीं दिया, जब बार बार फोन किए तो अपील सुनने के लिए बुलाया इसके विपरीत तर्क भी लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त अरोरा को न बुलाकर एक तरफा निर्णय दिया गया कि आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। अभी तक इस लो.सू. अधिकारी जालसाज अरोरा ने जानकारी इसलिए नहीं दी कि इन गिद्धों ने जन-धन की जो कदम-कदम पर लूट की है, उसका हिसाब कैसे दें, जबकि पिछले वर्षों में इसी कार्यालय में कम से कम 3 से ज्यादा बार पूरा फर्नीचर, पुर्ननवीनीकरण कर लाखों रु. का धन हड़पा गया है, हर कार्य दुगुनी तिगुनी कीमत पर 40 प्रश तक हड़पा गया।

फिर जितनी बार वैश्विक निवेशक सभाओं में पूरे म.प्र. में हर सभा में

रु. 50 करोड़ से ज्यादा की बर्बादी कर 50 प्रश ज्यादा धन हड़पा गया। 8,9, 10 अक्टूबर 2014 को की गई सभाओं में रु. 3000 का भोजन की एक थाली पर खर्च किया गया, जिसमें इन जालसाजों ने अपने निवेशकों, आंगुतकों, मंत्रीयों, संजीयों, विदेशी अतिथियों को शराब शबाब कबाब पर भी जनधन खर्च किया। स्वाभाविक था यहां बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिसको जैसा मौका मिला धन हड़पा।

लेखाधिकारी जो पूर्व में 14-15 वर्ष से ज्यादा गुजार चुके और करोड़ों की संपत्ति हड़प चुके गटेवाला के भ्रष्टाचार से निर्मित मकान आदि के फोटो समय माया में छप चुके हैं। पुनः 1-2 वर्ष ग्वालियर में बिताकर इंदौर में 3-4 वर्षों से पदस्थ है, लोकायुक्त यदि इनकी संपत्तियों की जांच करें तो काफी संपत्ति पकड़ी जा सकती है, वही हाल अरोरा, सक्सेना व अन्य सभी जो 5 वर्षों से ज्यादा बैठे हैं का भी है।

वैश्विक निवेशक सभा के आयोजन के बाद 23 अक्टू को प्र.सं. मनीष सिंग ने भी झूमकर भ्रष्टाचार के धन से दिवाली मनाई, इनके आजू-बाजू चारों तरफ के अनुसार हर रात धनतेरस से दोज तक शाम 8 बजे रात्रि से 2 बजे रात तक रेडियो कॉलोनी में रु. 8 से 10 लाख तक के फटाकों में आग लगाकर गुंजाई जाती रही। हर छोटे-बड़े अधिकारी इस भ्रष्टाचार के धन से फूटे फटाकों की आवाजों से चैन से नहीं सो पाया 3 बजे रात्रि तक हर किसी के मुंह से भ्रष्टाचार के धन से फोड़े गए फटाकों की चर्चा थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर वैश्विक निवेशक मिलन समारोह का आयोजन में जन-धन की कैसे लूट होती है और एकेवीएन में सभा के चेहरे इस लूट के धन से कैसे खिल जाते हैं। जितने भी औद्योगिक जिसमें सांवेर मार्ग, पालदा, मांगलिया, लक्ष्मी नगर, पीथमपुर

में सेज को छोड़कर निमरानी आदि के उद्योगपतियों से इस एकेवीएन की वास्तविकता जानी जा सकती है। सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पानी, साफ-सफाई आदि पर पूरा पैसा खर्च किया जाता है, बिल भी लगते हैं और भुगतान भी होता है। 50-60 प्रश की बंदरबांट करके पैसा हजम कर लिया जाता है, करोड़ों रु. के इस खेल में यहां उपयंत्रियों से लेकर प्र.सं., मंत्री, प्र.स. तक की हिस्सेदारी होती है। एक तरफ तो ये शूकरों की फौज पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में रखरखाव के नाम से 70 प्रश और बार-बार झूठे बिलों के भुगतान से भ्रष्टाचार में पैसा हजम कर जाती है, तो दूसरी तरफ इन पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपति इनके भ्रष्टाचार और लूट खसोट से परेशान होकर अपने उद्योगों में घाटा परेशानी झेलने के कारण उद्योग बंद करना बेहतर समझते हैं। आखिर ये हर औद्योगिक क्षेत्र में 50 से 60 प्रश पुराने उद्योग बंद हुए, नये उद्योगपति इन वैश्विक निवेशक मिलन समारोहों में हजारों करोड़ रुपए उद्योग में लगाने के वादे कर आखिर लौट के क्यों नहीं आते। इस पर कभी मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज ने गौर किया कदापि नहीं। इस जालसाज मु.मं. शिव तो जन के पैसे लूटाकर अपनी वाहवाही लूटने और अपनी फोटो समाचार पत्रों, पत्रिका, टीवी पर दिखाते रहने से मतलब। उसकी बला से आगे पाठ पीछे सपाट क्यों हो रहा है। प्र.स. मनीष सिंग के खास सिपहसालार सक्सेना जिसको सेवानिवृत्त हुए 5 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सारी रिश्ततखोरी, कमीशनखोरी की व्यवस्था करना कर्मचारियों, अधिकारियों पर निगाह रखना सबकी हिस्सेदारी तय करना करते हैं। साथ ही उद्योगपतियों से किससे कितनी वसूली किस मद में कैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में करना है कार्यों को भी संभालने के कारण इस भ्रष्ट की सेवाएं लगातार जारी है।

रूस पर प्रतिबंध क्यों? और पाक को सहायता

पेज 1 का शेष

सभी प्रकार के हथियारों से लेकर औषधियों के बाजार के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं ने 1960 से 1990 के बीच चली ध्रुवीय राजनीति को सोवियत रूस को नष्ट कर एक तरफ कब्जा कर लिया था, अब जबकि रूस पुनः अपना बिखरी आर्थिक और सामरिक और क्षमता को प्राप्त करने में जुटा हुआ है, और शनैः-शनैः अपनी औद्योगिक सामरिक, वैज्ञानिक अंतरिक्ष क्षमताओं को पुनः विकसित कर पट्टी पर लौटने लगा है, जो कि न तो अमेरिका को और न ही उसके नाटो सहयोगियों को हजम हो रहा है, तो उससे बिखरे हुए राज्यों चेचेन्या व अन्य के माध्यम से उसको नष्ट करने, जासूसी करने

आदि के षडयंत्र रच रहे हैं। उस पर अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोपे जा रहे हैं।

ताकि वह अमेरिका और उसके सहयोगी को पुनः हर कदम, हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर न दे सके, इसलिए युकेन और चेचेन्या के माध्यम से अपने लड़ाकों, जासूसों को रूस के चारों तरफ फैलाकर रखता है, जो रूस की हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ उसे कमजोर करने के हर मौके का सदुपयोग कर सके, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को अपनी, अपने राष्ट्रवासियों की सुरक्षा करने का प्राकृतिक, नैसर्गिक अधिकार है, फिर रूस अपने से अलग हुए राष्ट्रों पर अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है, तो कुछ भी गलत

नहीं करता। फिर किसे गुस्सा नहीं आएगा कि उससे अलग हुए, उसके अपने दूश्मन के हाथों खेलकर उसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। अब जबकि पूरे नाटो और अमेरिका को अहसास हो चुका है उसकी पुराने सोवियत रूस के देशों, युकेन और चेचेन्यों में उसकी इन देशों के माध्यम से रूप में जासूसी, घुसपैठ की कोशिशें नाकामयाब होने लगी है तो उस पर अमेरिका के इशारे पर कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया आदि के माध्यम से प्रतिबंधों का खेल खेलकर दबाव बढ़ाने की कूटनीति पर काम कर रहे हैं।

उनका यह सिलसिला पहले शीत युद्ध की तरह चलते-चलते जब जी 20 में आमने-सामने ही

होने लगा तो स्वाभाविक था कि, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष अपने सामने ही इन सिर चढ़े काफिरों का अपमान सहेंगा। इसलिए बीच में छोड़कर आना न केवल उसका वरन उसके देशवासियों की इज्जत और सम्मान के लिए आवश्यक था, इस क्रिया की प्रतिक्रिया में अमेरिका और उसके नाटो को समझ लेना चाहिए कि उसकी दोहरी नीतियों को जवाब देने के लिए रूस अकेला अभी सक्षमता से जवाब देने के लिए सक्षम है।

अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी अपने कृत्यों और व्यवहार से जितनी पारदर्शिता का परिचय देंगे वे दुनिया का उतना विश्वास जीतेंगे और दोहरी चाल और दोहरा चरित्र प्रदर्शित करेंगे तो दुनिया फिर

1970-80 की तरह दो ध्रुवों में बंटेंगी और उसकी इज्जत और सम्मान न केवल समाप्त होगा वरन अपने राष्ट्र की जनता की नजरों में अमेरिकी और नाटों प्रशासन उतना ही गिरेगा, यदि मुखिया बनने का शौक पालता है अमेरिका तो उसे सबसे पहले उस की पाली आतंकवादी की समस्या पर स्वयं ही तुरंत ही प्रतिबंध लगाने के लिए पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्रों को न केवल सहायता देना तुरंत बंद करने के साथ ही उसे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कहना होगा वरन स्वयं भी सोवियत रूस से अलग हुए राष्ट्रों यथा चेचेन्या, युकेन में अपनी और नाटो गतिविधियां बंद जिसमें जासूसी से लेकर वहां रूस के विरुद्ध भड़काने

की साजिश बंद करनी होगी।

जी-20 के इस मिलन समारोह में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीनी प्रधानमंत्री की पत्नी को शॉल उड़ाकर यह सिद्ध तो कर ही दिया कि अगर चीन मौका देगा तो वो अमेरिका के विरुद्ध चीन को अपनी आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक व अन्य प्रकार की तन,मन, धन से अपनी तहे दिल से मोहाब्बत का शॉल ओढ़ाने के लिए तैयार है, बशर्ते चीनी प्रधानमंत्री चाहे तो, और यदि चीन ईमानदारी से दूसरे देशों की जमीन और संसाधन हड़पने की नीति छोड़ दें, तो चीन, रूस और भारत मिलकर रूस अमेरिका और उसके नाटो संगठन की हर चुनौती का हर कदम जवाब देने में सक्षम है।

नर्मदा घाटी विकास भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण

महंगाई के नाम तीन गुना भुगतान फिर भी काम अधूरा

ढाई साल का काम 12 वर्ष में भी पूरा नहीं ठेकेदार ओर इंजीनियर कर रहे जन-धन की लूट

मप्र शासन में मुमं. शिवराज की प्रशासनिक क्षमताओं न केवल डीली वरन् तीसरी पारी में भी भ्रष्टाचारी और वसूली के चलते पूर्णतः अक्षम रहे हैं। फिर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का सवाल है, तो यहां विभाग तो यथार्थ में पावन नर्मदा की भ्रष्टाचार घाटी विकास प्राधिकरण 70-80 के दशक से ही बन गया था, तब से यह हर मुख्यमंत्री, न.घा. वि.प्रा. मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्य यथा अभियांत्रिकीय विद्युत, पुर्नवास, पर्यावरण एवं वन, वित्त से लेकर यहां नीचे तक उपयंत्रियों, बाबुओं तक चाहे वह अभियांत्रिकीय, ऊर्जा, पुर्नवास, पर्यावरण एवं वन, वित्त, पुर्नवास एवं क्षेत्र और अब साथ में एक विभाग और अस्तित्व में आया है, जिसका नाम है जल ग्रहण क्षेत्र विकास प्राधिकरण तक सबके लिए धन देने वाली मुर्दा गाय बना हुआ है, जिसको जैसे चाहे सब भ्रष्टाचार की बाल्टी में दोहने में लगे हैं। जिस हरामखोर जालसाज को जैसे जहां मौका मिल रहा है, दोहन ठेकेदारों के माध्यम से करने लगा है, जिसके बारे में समय माया के सम्मानीय पाठक वर्षों से पढ़ रहे हैं। जानते हैं, कि बड़े-बड़े भ्रष्ट-जालसाजों से पावन नर्मदा और उस पर बने बांधों और हजारों किमी लंबी बनी और बनने वाली जन कल्याणकारी नहरों को बचाने का प्रयास भी पूर्ण ईमानदारी से सीमित साधनों के साथ कर रहे हैं।

जिसमें महाभ्रष्ट, जालसाज सदस्य अभियंता के पद पर सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद करोड़ों रु. बांटेकर बैठे आर. इंग्ले से जो तीसरी बार 1 जुलाई 14 से समय वृद्धि लेने की तैयारी में थे, ऊपरी नर्मदा परि. नहरों से लेकर निचली नर्मदा परियोजना इंदौर, इ.सा.नं. मु.अ. सनावद तक हर संभाग के कार्यपालन यंत्रियों से अपनी खास चहेती फोटो कॉपी फर्मों के नाम से लाखों रुपए तो वसूल कर रहे थे, साथ ही जबलपुर के बरगी बांध या रानी अवंतीबाई सागर की दायी-बायीं नहरों के निर्माण से लेकर नि.न. परि. इ.सा. नहरों के हर संभाग में समयवृद्धि की आड़ में महंगाई के नाम पर दोगुने भुगतान से लेकर तिगुने भुगतान में भी अरबों रु. हर साल डकार रहे थे, बेशक इसमें ठेकेदारों के साथ उपयंत्रियों से लेकर सहा.यं., कां.यं. अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, तक सभी शामिल थे, से भी महीना वसूली अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, तक सभी शामिल थे, से भी महीना वसूली कर हड़प रहे थे, और सभी शूकरों का जनधन नोचने का यह खेल बंद नहीं हुआ है, इसमें दो ठेकेदारों जो कि इ.सा.0 नहरों और नि.न. परि. में, पिछले 30 वर्षों से ज्यादा समय से जिसमें बीसी बिहानी और कर्णसिंह मुख्य रूप से महा जालसाज भ्रष्ट ठेकेदारों ने सभी कामों को जो इन धूर्तों ने लिये ढाई वर्ष को 12 वर्ष में पूरा नहीं कर पाये, या यो कहा जाये कि यहां बैठे धूर्त बाबुओं से लेकर उपयंत्री, सहा. यंत्री, का.यं. अ.यं., मु.अं. सदस्य अभियांत्रिकीय से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की पूरी शह में रही ठेकेदारों की तो कार्य घोंघे की गति से कर खूब मूल्यवृद्धि का लाभ ले और इन हरामखोर श्वाणों को भी भरपेट भ्रष्टाचार की कमाई के टुकड़े डालकर उनके बैंक बैलेंस का भरने में लक्ष्मी जी की भांति सहाय बने रहें।

इंदिरा सागर नहरों के संभाग क्र. 21 में पिछले डेढ़ वर्ष में ही तीन का.यं. बदले गये, जिसमें कोले जो सहा. यं. या का.यं. आरघ जो 10 वर्षों से ज्यादा समय से कुंडली मारे बैठा था, देरों शिकायतों के बाद स्थानांतरित किया गया तो प्रभार कोले को दे दिया। कोले ने स्वयं ना.पु. भी. स.यं. के रूप में हस्ताक्षरित की और का.अं. के रूप में स्वयं प्रमाणित कर बिना काम के भुगतान भी करवा दिया और मोटा हिस्सा डकारकर शिकायत होने पर जल संसाधन विभाग में पुनः सहा. यं. के रूप में पदस्थ कर दिये गये। वही हाल उसके बाद पदस्थ हुये परस्ते और अब गुप्ता कर रहे हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर सालों बाद जो जानकारी हाथ आई, उससे लूट भ्रष्टाचार की कहानी समझ में आयेगी। अनु. क्र. 1 सन् 02-03 दिनांक 04-05-02 जिसकी राशि रु. 9,56,90,585 रु. थी, जो 4/11/04 को पूरा होना था, महाभ्रष्ट जालसाज बीसी बिहानी ने लिया कार्य था मुख्य नहर की आरडी क्र. 58.856 कि. से 64.5 कि.मी. तक दिये गये नाप से खुदाई करना थी, तब से बिल भुगतान हो रहे थे, वि.क्र. 45, रु. 4668,995/- कुल भुगतान हुआ, इसे मिलाकर रु. 15,33,38,410/- वि.क्र. 46 नहीं दिया, वि.क्र. 47 दि. 30/5/13 भुगतान रु. 30,13,235/- कुल भुगतान रु. 16,37,41,489/- वि.क्र. 48 दि. 22/6/13 रु. 52,69,373/- कुल भुगतान रु. 16,90,10,862/- वि.क्र. 49 रु. 38,33,039/- दि. 30/9/13 कुल भुगतान रु.

17,29,73,821/- वि.क्र. 50 दि. 21/12/13 रु. 23,25,134/- कुल भुगतान रु. 17,54,10,985/- वि.क्र. 51, दि. 28/3/14 रु. 59,69,822/- कुल रु. 18,16,51,387/- वि.क्र. 52 दि. 15/5/14 रु. 62,42,784/- कुल रु. 18,81,81,511/- वि.क्र. 53, 535455 नहीं दिये गये, 56 वां बिल दि. 02-02-14 रु. 60,79,740 कुल भुगतान रु. 25,75,18,241/- 01.01.13 से 30/7/14 तक रोकड़ी के अनुसार रु. 1 लाख से ज्यादा 46 बिलों का भुगतान किया गया, जबकि कापी मात्र 12 बिलों की दी गई, अब इसमें जालसाजियां इन हरामखोर जालसाज का.यं. की देखें, मूल्यवृद्धि में हर तिमाही में मजदूरी, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट और लोहे की कीमतों का सूचकांक देखकर किया जाता है, खुदाई में लोहे और सीमेंट की आवश्यकता नहीं केवल मजदूरी और डीजल पेट्रोल की वृद्धि के हिसाब तिमाही होनी चाहिए। परन्तु हर माह बिलों का भुगतान किया गया, मधुकॉन लदाराम व अन्य ठेकेदारों के बिल जालसाज बड़ा बाबु दुबे ने नहीं दिये, फिर हल्की मुरम कड़ी मुरम, हल्की चट्टानों का भुगतान भी काली कड़ी चट्टान के भुगतान हुये काली चट्टान निकलने पर चट्टे बनाये जाने चाहिये ताकि उसके नाप से भुगतान की सत्यता देखी जा सके। निचली नर्मदा परियोजना में बैठा मु.अ. अजनारे यथार्थ में रबर स्टॉप है, जो ऊपर वालों ने कह दिया तो भी हां, जो नीचे वालों ने समझा दिया वह भी हां, खुद की अक्लें मुख्य अभियंता के हिसाब से कुछ भी नहीं, फिर धार मंडल का यह अधीक्षण यंत्री कितना दमदार है, कि मान, जोबट के बांध को बने हुये जिसमें अरबों रु. का जन-धन विनियोजित किया गया, 10 वर्षों में नहरें नहीं बन पाईं, इसके अंतर्गत सं.क्र. 8, 20, 16, 30, 32 और ओ.स. परियोजना नहरें धामनोद संभाग के सारे कार्य घोंघे की गति से समयवृद्धि और मूल्यवृद्धि से भ्रष्टाचार का दुगुना-तिगुना धन हड़पने के लिये ही किये व करवाए जा रहे हैं। मु.अ. अजनारे को यहां से वापिस जल संसाधन विभाग को भेजकर मुख्यालय या मु.अ. कार्या. में संलग्न किया जाना चाहिये, ये भले ही लाख दावे करें, अभी तक नर्मदा-शिप्रा लिंक परि. का पानी उज्जैन तो दूर देवास तक नहीं पहुंचा है, फिर नर्मदा गंधीर परि. पर रु. 2300 करोड़ खर्च करने की तैयारी केवल जन-धन की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ नहीं, पहले तो नर्मदा में पानी नहीं, फिर कठोरा उदवहन, नर्मदा उदवहन, नर्मदा क्षिप्रा की योजनाओं पर रु. 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के उपरांत क्या लाभ हुआ किसानों को, बस बनाने वाले, स्वीकृति देने वालों से लेकर ठेकेदारों ने जन धन हड़पा और रु. 2300 करोड़ की नर्मदा गंधीर का भी यही हाल होना है, क्योंकि बिजली के बिल की हर महीने 10 से 25 लाख का बिल, भुगतान कहां से कैसे हो, केवल उदवहनपरियोजना जनधन को डकारना है और ये सच मु.अ. अजनारे को बताने की क्षमता ही नहीं। सारे वर्तमान कार्यों की वित्तीय बर्बादी की जांच लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो करे, समय वृद्धि देकर मूल्यवृद्धि के भुगतान में हुये भ्रष्टाचार और अधिक भुगतान में सब लपेटे में आ जायेंगे, बेशक सब धन खर्च कर ही पदों पर जमे है। यही हाल इंदिरा सागर नहरों में जालसाजी से बैठा मु.अ. यू.सी. जैन जिसके पास मंडल क्र. 1 का अधीक्षण यंत्री सनावद हैं, पुराने भ्रष्ट है। वर्तमान में भी सं.क्र. 18, 24, 21, 9, 12, 19 लोवर गोई, नहर संभाग खरगोन 13, 25, 28, 11, 24, 27 में भी चल रहे समय वृद्धि और मूल्यवृद्धि में सबको हड़काकर वसूली कर रहा है। जानकारी मांगने के लिये पत्रों को भी ये हरामखोर ज्यादा गिनता नहीं, फोन करो उठाता नहीं। अपील करो बुलाता नहीं, स्मरण भेजो तो बुलायेगा तो स्वयं गायब हो जाता है। 26/11/14 को बुलाया, पहुंचे तो बहाना बनाकर गायब फिर 3 दिस.14 को सुनवाई का पत्र नहीं दिया। 12 बजे फोन किया और बताया चुनाव प्रशिक्षण में खरगोन में जबकि सारे दिन सनावद में था, दो-तीन अपीलों की सुनवाई ही नहीं की, आखिर अपने कुकर्मों और भ्रष्टाचार से ही तो डर लगेगा।

यदि न्यायालय में प्रकरण लगा दिये तो फिर सेवानिवृत्ति बिगड़ जायेगी। मु.अ. अजनारे और यु.सी. जैन दोनों को पुनः जल संसाधन को भेजा जाना चाहिये। विपक्ष भी यह मांग नहीं करता कि आखिर नर्मदा घाटी की योजनाओं में भ्रष्टाचार से जन धन की पिछले 40 वर्षों से क्यों होली खेली जा रही है।

भारतीय न्याय प्रणाली उर्फ मुकदमेबाजी गिरफ्तारी और जमानत भ्रष्टाचार के उद्योग है

वैसे तो संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक अमूल्य मूल अधिकार माना गया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के विषय में काफी दिशानिर्देश दे रखे हैं किन्तु मुश्किल से ही इनकी अनुपालना पुलिस द्वारा की जाती है। सात साल तक की सजा वाले अपराधों के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कानूनन भी कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु छिपे हुए उद्देश्यों के लिए पुलिस तो असंजये और छिटपुट अपराधों में भी गिरफ्तार कर लेती है और जमानत भी नहीं देती। निचले न्यायालयों द्वारा जमानत नहीं लेने के पीछे यह जन चर्चा का विषय होना स्वाभाविक है कि जिन कानूनों और परिस्थितियों में शीर्ष न्यायालय जमानत ले सकता है उन्हीं परिस्थितियों में निचले न्यायालय अथवा पुलिस जमानत क्यों नहीं लेते। देश का पुलिस आयोग भी कह चुका है कि 60 गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं तो आखिर ये गिरफ्तारियां होती क्यों हैं और जमानत क्यों नहीं मिलती? इस प्रकार अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 59 के अंतर्गत बिना जमानत छोड़ दिया जाना चाहिए व पुलिस आचरण की भर्त्सना की जानी चाहिए किन्तु न तो वकीलों द्वारा ऐसी प्रार्थना कभी की जाती है और न ही मजिस्ट्रेटों द्वारा ऐसा किया जाता है।

ये यक्ष प्रश्न आम नागरिक को रात दिन कुरेदते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में प्रावधान है कि किसी गैर-जमानती अपराध के लिए पहली बार गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा भी जमानत दी सकती है यदि अपराध मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय न हो। किन्तु स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल जहां पुलिस ने इस प्रावधान की अपनी शक्तियों का कभी विवेकपूर्ण उपयोग किया हो और किसी व्यक्ति को जमानत दी हो। पुलिस का बड़ा अजीब तर्क होता है कि यदि वे इस प्रावधान में जमानत स्वीकार कर लेंगे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे इसलिए वे जमानत नहीं लेते। इस प्रकार जमानत जो भी अधिकारी लेगा उस पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगेंगे ही चाहे उसका स्तर कुछ भी क्यों न हो। आश्चर्य की बात है कि जो कार्य पुलिस को करना चाहिए वह कार्य देश के न्यायालय प्रसन्नतापूर्वक करते हैं और वे पुलिस से जमानत नहीं लेने का कारण तक नहीं पूछते, न ही वकील निवेदन करते कि पुलिस ने जमानत लेने से इन्कार कर दिया इसलिए उन्हें न्यायालय आना पडा। क्या यह स्पष्ट दुर्भिक्ष संधि नहीं है? न ही कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में इस हेतु किसी पुलिस अधिकारी से जवाब पूछा है कि उसने जमानत क्यों नहीं ली।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संवैधानिक प्रावधानों कि व्याख्या करने के लिए की जाती है किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वर्ष में लगभग 18000 जमानत आवेदन आते हैं जिससे इस रहस्य को समझने में और आसानी होगी। अन्य हाई कोर्ट की स्थिति भी लगभग समान ही है। जमानत के बहुत से प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते हैं। जमानत देने में निचले न्यायालयों और पुलिस द्वारा मनमानापन बरतने के अंदेश के कारण प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन को सीधे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। शायद विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां लोगो को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा करनी पड़ती है फिर अंतिम न्याय किस मंच से मिलेगा ष्टविचारणीय प्रश्न है।

गिरफ्तारी का उद्देश्य यह होता है कि अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया से गायब न हो और न्याय निश्चित किया जा सके। किन्तु भारत में तो मात्र 2३ से भी कम मामलों में सजाएं होती हैं

अतः 2% दोषी लोगों के लिए 98% निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी करना अथवा उन्हें पुलिस, मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय अथवा हाई कोर्ट द्वारा जमानत से इन्कार कर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विवश करने का क्या औचित्य रह जाता है – समझ से बाहर है। बम्बई उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 685/ 2013 के निर्णय में कहा है कि यदि एक मामले में दोषी सिद्ध होने की संभावना कम हो व अभियोजन से कोई उद्देश्य पूर्ति न हो तो न्यायालय को मामले को प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर देना चाहिए। मेरे विचार से जब भी किसी मामले में अनावश्यक गिरफ्तार किया जाए या जमानत से इन्कार किया जाए तो अभियुक्त की ओर से यह निवेदन भी किया जाना चाहिए कि मामले में दोष सिद्ध की अत्यंत क्षीण संभावना है अतः उसकी गिरफ्तारी या जमानत से इन्कारी अनुचित होगी और यदि अभियुक्त आरोपित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया तो हिरासत की अवधि के लिए उसे उचित क्षति पूर्ति दी जाए। इस दृष्टि से तो भारत के अधिकांश मामले, आपराधिक न्यायालय, अभियोजन और पुलिस के कार्यालय ही बंद हो जाने चाहिए।

इंग्लैंड में पुलिस एवं आपराधिक साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत पुलिस द्वारा रिमांड की मांग करने पर उसे शपथपत्र देना पडता है। कहने के लिए भारत में कानून का राज है और देश का कानून सबके लिए समान है किन्तु अभियुक्त को तो जमानत के लिए विभिन्न प्रकार के वचन देने पड़ते हैं और न्यायालय भी जमानत देते समय कई अनुचित शर्तें थोपते हैं और दूसरी ओर पुलिस को रिमांड मांगते समय किसी प्रकार के वचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है मात्र जबानी तौर मांगने पर ही रिमांड दे दिया जाता है। पुलिस द्वारा रिमांड मांगते समय न्यायालयों को पुलिस से अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि वे रिमांड के समय देश के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा जारी समस्त निर्देशों और मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की समस्त बातों की अनुपालना करेंगे।

यद्यपि देश का कानून गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है फिर भी गिरफ्तारियां महज इसलिए की जाती हैं कि पुलिस एवं जेल अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को यातना न देने और सुविधा देने, दोनों के लिए वसूली करते हैं तथा अभिरक्षा के दौरान व्यक्ति पर होने वाले भोजनादि व्यय में कटौती का लाभ भी जेल एवं पुलिस अधिकारियों को मिलता है। इस प्रकार गिरफ्तारी में समाज का कम किन्तु न्याय तंत्र से जुड़े सभी लोगों का हित अधिक निहित है।

आस्ट्रेलिया में जमानत को व्यक्ति का अधिकार बताया गया है तथा जमानत के लिए अलग से एक कानून है किन्तु हमारे यहां तो धन खर्च करके स्वतंत्रता खरीदनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में तो सत्र न्यायाधीशों द्वारा अग्रिम जमानत लेने का अधिकार ही दिनांक 01.05.1976 से छीन लिया गया है और इस लोक तंत्र में स्वतंत्रता के अधिकार को एक फरेब व मजाक बनाकर रख दिया है। पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार मात्र तभी होना चाहिए जब कोई सात साल से अधिक अवधि की सजा वाला अपराध उसकी मौजूदगी में किया जाए अन्यथा जब मामला न्यायालय में चला जाए व गिरफ्तारी उचित और वांछनीय हो तो सक्षम मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त किया जा सकता है। गिरफ्तारियों और जमानत का यह सिलसिला इसलिए जारी है क्योंकि यही भारतीय न्याय प्रणाली उर्फ मुकदमेबाजी उद्योग की रीढ़ है और सम्बद्ध लोगों के लिए दुधारू गाय है। सत्तासीन लोग भी पुलिस क्रूरता और पुलिस की भय उत्पन्न करने वाली कर्कश आवाज़ के दम पर ही शासन कर रहे हैं।

9 वर्ष बाद भी केन्द्र व राज्य सरकारों ने धारा 4 का पालन नहीं किया

शास. अधिकारियों से आयोग तक ने सू.अ.अ. को बना दिया मजाक

प्र.मं. मोदी, मु.म. चौहान व अन्य केवल घोषणावीर-सभी को भ्रष्टाचार पसंद, बाते जीरो टालरेंस और भ्रष्टाचार दूर करने की, कोशिश सूचना अधिकार अधि.05 खत्म करने की, स्वयं महाभ्रष्ट, जालसाज, डकैत चिल्लाते हैं। सूचना अधिकार ब्लेकमेल करने का हथियार बन गया, जनधन बाप की जागीर नहीं, सत्ताधीश लूटे खाये, ये संवैधानिक आवश्यकता है, कि जन से वसूले हर रु. का जनता को हिसाब दें, 10 वर्ष बाद में धारा 4 का पालन राज्यों व केन्द्रों के विभागों ने अभी तक पूरा क्यों नहीं किया।

इतिहास और वर्तमान के गहन अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि सत्ता में बैठे हर सत्ताधीश की इच्छा होती है कि सत्ता में जो कुछ भी करें पर जनता का कोई भी व्यक्ति, पत्रकार, समाजसेवी और विपक्ष यह न पूछे कि उसने क्या, कैसे और क्यों किया? फिर जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, तो यह स्वयं सिद्ध हो चुका है कि यथार्थ में यह लूटतंत्र है, क्योंकि सत्ता में आने के लिये और जनता को भरमाने के लिये उसने जो प्रचार तंत्र पर भीड़ इकट्ठी करने में जो पैसा खर्च किया है, उसकी भरपाई कहीं से तो करनी पड़ेगी। दूसरी ओर जिन्होंने यह धन उस नेता को सत्ता में लाने के लिए खर्च किया है, उसे कहीं तो लाभ पहुंचाना ही पड़ेगा, उसके लिये कानूनों में संशोधन, समाप्त करने, नये बनाने आदि की जालसाजियां, प्रस्ताव आदि पास करने पड़ेंगे आदि, जन धन की बर्बादी करनी पड़ेगी।

लोकतंत्र में सत्ता को चलाने, जनहित कार्य करने के लिये जो धन जनता से आयकर, कस्टम, एक्साइज, विक्रयकर, संपत्तिकर, शिक्षा, सड़क, मंडी शुल्क व अन्य करों के माध्यम से न केवल वसूला जाता है, वरन न भरने, पकड़ने पर कारावास तक की व्यवस्था भी की जाती है। स्वाभाविक है जनता से वसूले गये धन का हिसाब भी

सत्ताधीशों को न केवल देना चाहिये वरन् विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सूचना के अधिकार में देय हैं, बेशक हमारे देश में भी लागू हैं, परन्तु हमारे देश में उसको मजाक बना दिया गया है, न केवल देश की राज्य सरकारें वरन स्वयं न केवल केन्द्र सरकार भी बिल्कुल गंभीर नहीं है। वरन तत्काल ये चुनकर आया मोदी उसे समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहा है, अर्थात् जन-धन को ये हरामखोर, जालसाजों की फौज न केवल अपने बाप की जागीर समझ रही है, वरन पुरानी कांग्रेस सरकार के जनता को लूटने के षड्यंत्रों पर न केवल अपनी मुहर लगा रही है, साथ ही जनता के बैंक खाते खुलवाकर उसमें गैस अनुदान आदि को भेजने का प्रावधान कर जनता को भी षड्यंत्रों में उलझाने का ताना-बाना बुन रही है।

सूचना अधिकार अधि. 05 के आने के बाद वर्तमान में सरकारी कर्मचारी अधिकारी भले ही भ्रष्टाचार और जालसाजियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिलाधीश, आयुक्त व सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों को भले ही बचाने पर तुले हों, सूचना आयोग में केन्द्र और राज्यों में भले ही चुन चुनकर भ्रष्ट, जालसाजों और सरकार के टुकड़खोरों को बैठाया हो, पुलिस और न्यायालय सूचना के अधिकार में जानकारी देना अपना अपमान समझते हों, इसके विपरीत चारों तरफ शासकीय विभागों में न केवल दहशत है वरन् शासकीय दस्तावेजों को चुस्त दुरुस्त और कानूनानुसार नियमबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न किया जा रहा है, सूचना आयोग में बैठाये गये सारे नये आयुक्तों जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त के डी खान को सबसे पहले देखना चाहिये कि सू.अ.अधि. की धारा 4 के अंतर्गत विभागों में अभी तक नियमानुसार 17 बिन्दुओं की जानकारी, 10 वर्ष बाद भी इंटरनेट साइटों पर क्यों नहीं डाली, जिसमें हर विभाग, शास. मंडल, निगम सहकारी संस्थाओं, समितियों के

हर अधिकारियों से लेकर भृत्य तक के नाम, पते, कार्य क्षेत्र, धनाबंटन, खर्च, अनु. जाति, जनजाति के, मूल निवासी प्रमाणपत्र जिसके आधार पर नौकरी कर रहा है तक सब डालने थे, क्यों नहीं डाले गये? व क्यों नहीं डाले जा रहे, सिद्ध करता है, सारे भ्रष्ट जालसाज मुख्य सचिव से लेकर प्रदेश के चार लाख कर्मचारी-अधिकारी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। डर है कि उनका यथार्थ सामने न आ जाये, धारा 4 के पूरा करने से सबसे बड़ा लाभ सरकार को ही होना है, उसे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे विभागों से पत्राचार नहीं करना पड़ेगा, जिसमें अनावश्यक विलंब होता है, पत्राचार और जानकारी एकत्रित करने में मानव श्रम और धन पर भी जन से लेकर धन सरकार ही खर्च करती है, जिसका खामियाजा सरकार ही भुगतना पड़ता है और बदनामी झेलनी पड़ती है।

सूचना के अधिकार में मांगी जाने वाली जानकारी यथार्थ में अभी भी जानकारी प्रदेश की 7.25 करोड़ में आबादी से 7250 लोगों ने भी जानकारी का लाभ नहीं उठाया, इसका लाभ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही उठा रहे हैं। जो कि उन्हीं के अपने वरिष्ठों या कनिष्ठों से नियमों का पालन करवाने और उनके भ्रष्टाचार और जालसाजियों पर लगाम लगाने के लिये पत्रकारों व अन्य समझदार शिक्षित लोगों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने के लिए विवश करते हैं। वे ही बताते हैं कि कौन सी कब की और कैसी जानकारी मांगना है, अन्यथा 60 वर्ष की आजादी के बाद राष्ट्र की लोकतांत्रिक सरकारें लूट तंत्र बन चुकी है। वे आम को तो दूर खास को भी हर विभाग के अंदर चल रहे लूटमार, भ्रष्टाचार की कहानी तो दूर एक लाइन बाहर नहीं लाना चाहती। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सूचना के अधिकार कानून को आस्तित्व में आये 10 वर्ष होने जा रहे हैं। परन्तु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पंचायतों तक व केन्द्र व राज्य सरकारों

के विभागों ने जबकि हर वर्ष अरबों रु.आवंटन केन्द्र सरकार स्वयं के व राज्य के हर विभाग को दे रही है, न तो किसी कार्यालय और न ही इंटरनेट साइट्स पर अपनी धारा 4 की न तो पूरी जानकारी डाली, न ही महीनों तक उसे अपडेट किया जाता है।

सरकारों उसके मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष तक की धूर्त मक्कार और जालसाजों की फौज ने अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिये जिला पंचायतों, कृषि विभाग, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा आदि में तो यहां तक कि मु.का. अधि. उपसंचालक, का.यं. जो लोकसूचना अधिकारी हैं, उन्हें ही उनका ही अपील अधिकारी भी बना दिया। जबकि सूचना अधि. अधिनियम के अनुसार उनका वरिष्ठ अधिकारी ही अपील सुन सकता था, स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा भ्रष्टों ने अपने पक्ष में अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने, स्वयं को ही अपीलीय अधिकारी घोषित होने से, सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के षड्यंत्रों में वास्तविक शुल्क से 10 से 100 गुना ज्यादा शुल्क मांगकर जानकारी देने से साफ बच निकलता है, कानून का कैसा मजाक है, देखा जा सकता है फिर आयोग में बैठे धूर्त और भ्रष्ट सारे आयुक्त भी चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कमाई के लिए ज्यादा से अपीलें आएँ और ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके। अभी तक आयोग ने मुख्य सचिव से न तो इन तथ्यों के विरुद्ध पूछताछ की और न ही धारा 4 के संबंध में जवाब मांगा, क्योंकि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे।

अब जब भाजपा की केन्द्र और राज्यों में सरकारें हैं, तो मोदी और शिवराज जैसे नौटंकीबाज जालसाज चिल्ला रहे हैं कि सूचना का अधिकार ब्लेकमेलिंग का हथियार बन गया अर्थात् ये सत्ताधीश हैं तो इनके सारे कुकर्म, भ्रष्टाचार, जनता के साथ छलकपट सब पुण्य हो गये। अपने बाप की जागीर न समझें, जन से वसूले धन को ईमानदारी से हर रु. का हिसाब देने की हिम्मत दिखायें।

भ्रष्टाचार और जालसाजी में कांग्रेस से आगे भाजपा आधार अपराधियों को पोषण-आमजन का शोषण

गैस, खाद्य सामग्री व अन्य के अनुदान के नाम पर बैंक खाते खुलवाना और आधार के माध्यम से गरीबों का होगा, शोषण और दबाव की राजनीति

भारत में गुजराती चाय का ठेला लगाने वाले जालसाज सपनों के सौदागर ने अपनी आक्रामक शैली से न केवल रा.स्व. से. सं. जैसे महाधूर्तों के संगठन पर कब्जा जमाकर, बड़े-बड़े भाजपा के बुनियादी खंभों के उखाड़कर, पूंजीपतियों का दामन थाम बाजार बाद में पनपे त्रीव बाजारवादी प्रसार माध्यमों को खरीद जिन्हें सामाजिक प्रसार माध्यम कहा जाता है, षड्यंत्रों की कूट रचना और बिकाऊ भारतीय प्रशा. सेवा बनाम भा. प्रशोषण सेवा के अधिकारियों को खरीद सत्ता अवश्य हथियाली, परन्तु गहन अध्ययन, दूर दृष्टि, भविष्य के आंकलन के अभाव में, मोदी भी पूर्व से सत्ता में बैठे, धूर्त, मक्कार, घोर भ्रष्ट जालसाज लूटेरी फौज से घिरकर, अंत में उनकी कठपुतली बन नाचने लगा, जैसा कि आधार कार्ड के संबंध में नंदन नीत केणि जो पूर्व का सत्यम घोटालों का सरगना तो था ही, साथ ही आधार कार्ड योजना का जनक भी था, जिसका मूल उद्देश्य था पूरे भारत की जनता का सामाजिक आर्थिक और जैविक समक आंकलित कर, विदेशी कं. को बैच, उनके भविष्य के नियोजन और भविष्य को गुलाम बनाने की नीति में सहयोगी था, पूरे देश में अकेले 4 करोड़ से ज्यादा बागला घुसपैठियों ने भी न केवल बंगाल, असम, मेघालय वरन उप्र, मप्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर दिल्ली, बंबई, बेंगलूर में भी आधार कार्ड बनवा लिए हैं, जो भविष्य में भारी घातक होने वाले हैं। केन्द्र आधार कार्ड पर अभी तक लगभग रु. 4500 करोड़ खर्च कर चुकी है, जिसका पूरा फायदा पूर्व के जालसाज भ्रष्ट वित्त मंत्री पी. चिटंबर के मित्र नंदन नीलकेणी को ही मिला, कुछ बांग्लादेशी जो 1971 से 1980 के बीच आए उनकी तीसरी पीढ़ी भारत में संपूर्ण नागरिकता प्राप्त कर खड़ी है, देश के संसाधनों को चाट रही है, जिनकी वर्तमान संख्या अकेले बिहार, बंगाल, असम, उप्र, छत्तीसगढ़ में ही 15 करोड़ से ज्यादा है, अधिकांश अवैध धंधों में लगी होने के साथ सरकारी नौकरियों तक पहुंच चुकी हैं, और अधिकांश जिलों में अच्छी खासी अरबों रु. की संपत्तियों के मालिक हैं, और ऊपर से आधार कार्ड उन्हें नागरिकता की संपूर्ण वैधानिकता देता है, जिसके लोग आईएम, सिमी से लेकर आईएसआई के साथ मिलकर कभी भी देश की आंतरिक सुरक्षा और जनता के लिए किसी भी वक्त भारी परेशानी का करण बन सकते हैं। सरकार भी स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है, इस योजना में अक्टू 2014 तक मात्र रु. 4500 करोड़ बर्बाद करने के साथ ही करोड़ों बांग्लादेशियों के पास भी आधार कार्ड पहुंच चुके हैं और अब सरकार 1 जन से सीधे उन्हें अनुदान का धन देकर बैंकों में जमा करवाएगी, अर्थात् वैधानिकता का एक और ठप्पा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय होने का पहचान देगा, प्र.मं. को पहले कुछ महीनों अपने चारों तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हाने की पहचान देगा, प्र.मं. को पहले कुछ महीने अपने चारों तरफ फैले ईमानदार-बेईमान, भ्रष्ट, जालसाज, डकैत, अधिकारियों, उनके बाहरी संबंधों पुराने जालसाजों से संबंध का अध्ययन कर, निश्चय करना चाहिए था, कि कौन भविष्य में उनके साथ यथार्थ राष्ट्रहित में और कौन प्रथम स्वहित में फिर राष्ट्रहित में काम कर रहा है। प्र.मं. कार्यालया में सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी 25 से 35 वर्ष से वहीं कुंडली मारे बैठे हैं। और भारी जालसाजियां और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्हें बाहर करना था, जिन्हें आधार कार्ड से पुरानी जालसाजीपूर्ण योजनाओं से करोड़ों का लाभ मिल रहा है, वो राष्ट्रहित के लिए कितनी भी घातक हो समाप्त नहीं होने देंगे।

मप्र वाणिज्यकर- आयुक्त राठौर निहायत ढीला प्रशासक: सू.अ.में जानकारी न देने, सब एक

आयुक्त ने छीने, सचिव ने रु. 50 लाख लेकर किए बहाल

पहले विक्रय कर, फिर वाणिज्य कर, फिर वेट, अब जीएसटी की तैयारी, नई पीढ़ी वेट को अभी भी समझी नहीं, प्र.स., सचिव से नीचे तक भ्रष्ट

मप्र वाणिज्य कर में अग.14 से एंटी इवेजन ब्यूरो को 8 शाखाओं के अधिकार छीन लिए गए थे, ये अधिकार वृत्तों के वाणिज्यकर अधिकारियों को पूरे प्रदेश में दिए गए थे, सबकी उच्च के लगी, सबने ट्रांसपोर्टर्स से पहले वसूली की साथ ही पूरे प्रदेश में विभिन्न मार्गों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले ट्रकों से भी वसूली की गई, जिसके एंटी इवेजन का पूरा गणित बिगड़ा और दो माह तक पूरे आठों विंग प्रदेशभर में बैठे रहे अंत में सभी विंग के उपायुक्तों ने मिलकर सचिव व प्रधान सचिव मनोज श्रीवास्तव

जो पुराने इंदौर जिलाधीश, जनसंपर्क आयुक्त रह चुके हैं। भ्रष्ट और अय्याश है, जिनकी जनवरी 2010 की रेल की कहानी, समय माया छाप चुका है, को सबने मिल कर सूत्रों के अनुसार रु. 50 लाख की भेंट कर पुनः अधिकार प्राप्त किए। नई पीढ़ी के सन् 2005 के बाद नियुक्त अधिकारियों को पहले वाणिज्यकर फिर वेट का ढंग से पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया है, इसलिए जो कर सलाहकार, सलाह देते हैं, चुपचाप हस्ताक्षरित कर, करों की वसूली आधी-पौनी कर लेती है। बस बीच की मोटी मार्जिन अच्छी होनी चाहिए, इससे भी भारी राजस्व हानि हो रही

है। नई पीढ़ी की अधिकांश अधिकारियों खासकर महिलाओं को 20-25 वर्ष पुराने लंबित करों की वसूली की तो बहुत दूर, वेट की बारीकियां भी समझ नहीं आ रही है। अब जबकि केन्द्र विश्व व्यापार संगठन और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के इशारे पर जीएसटी लगाने की तैयारी में हैं। स्वाभाविक व्यापारी और कर सलाहकार इस नासमझी का भरपूर फायदा उठाने से भी राजस्व हानि हो रही है। बेशक कर्मचारी अधिकारी टाटा के बनाए साफ्टवेयर से काफी परेशान हो रहे हैं। व्यापारी भी साफ्टवेयर में भारी

कमियों के चलते फार्म-49 व अन्य फार्म डाउनलोड भी समय पर नहीं कर पाने के साथ कर जमा करने व अन्य कार्यवाही को संपन्न करने में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है कि एक तो कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर्स 3-4 वर्ष से ज्यादा पुराने हो जाने से कार्य करने में तो तकलीफ देते ही है। साथ व्यापारी द्वारा जमा किए करों को, कर वितरणियों आदि को कम्प्यूटराइज्ड कॉपी को प्रिंट कर हर व्यापारी की पेपर पर मुद्रित प्रतियां निकालना और सबकी फाइलों का रिकार्ड तैयार करने में समय और

मानव श्रम बर्बादी हो रही है, जबकि एक तो स्टॉफ की भारी कमी फिर ऊपर से पिछले अक्टू 13 से अभी तक स्टॉफ के आधे से ज्यादा सदस्य चुनाव ड्यूटी पर जाने से, कार्य को गति कोढ़ में खाज की बात हो गई है। महाभ्रष्ट जालसाज संचालक प्रवीण भागड़ीकर के सेवानिवृत्त हो जाने से जहां मुख्यालय के चाटूकारों की फौज हताश हुई है वहीं मैदानी स्टॉफ में प्रसन्नता है, वैसे सूत्रों के अनुसार से प्रवीण भागड़ीकर ने एंटी इवेजन से धन की मांग की थी, जिसे पूरा न करने के कारण ही उन्होंने इनके ट्रकों को पकड़ने के अधिकारों से वंचित

करवा दिया था। वैसे इस विभाग में भी 50-60% अधिकारी, कर्मचारीफर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी पिछले 8 वर्षों से नहीं दी जा रही है।हर समय हरामखोरों की फौज जो मुख्यालय में बैठी है, कोई न कोई बहाने बनाकर बच रही है। जबकि उपायुक्त के एल मीणा का प्रमाण पत्र भी फर्जी है। परन्तु व्यक्तिगत जानकारी कहकर बच रहा है। अनु.जाति जनजाति आयोग क्या इस विभाग के फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वालों की जांच करेगा।

किसान कंगाल, अधिकारी और नेता हुए मालामाल

बीज समिति से बीज खरीदने पर मजबूर कृषि विभाग

मप्र के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को समृद्ध बनाने की बात करते हैं, लेकिन शायद उन्हें ज़मीनी हकीकत का कड़वा सच मालूम नहीं है। सच यह है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही तमाम योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। इन योजनाओं के नाम पर दलाल, सप्लायर एवं अधिकारी मालामाल हो रहे हैं।

जिले का ताजा मामला तो यह है कि जिले में बीज समितियों के पास पर्याप्त बीज उपलब्ध होने के बाद भी जिले के बाहर से 2000 क्विंटल बीज मंगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के एक कदावर मंत्री के दबाव में उनकी विभिन्न नामों से रजिस्टर्ड बीज समितियों से सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ सहित प्रदेश के कई जिलों में बीज खरीदना पड़ा। इन मंत्री महोदय का सहकारिता क्षेत्र में खासा दबदबा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्री की स्वयं, परिवार एवं उनके लोगों के नाम पर कई बीज समितियां हैं। जिनके

राजनीतिक दबदबे के चलते प्रदेश के कई जिलों में कृषि विभाग द्वारा खरीदा जाने वाला बीज इन्हीं की समितियों से सप्लाय किया जाता है। यहां तक कि जो बीज किसानों को अनुदान स्वरूप बांटने की योजना के तहत मंगाया जाता है। वह तो 25 प्रतिशत आता है। शेष 75 प्रतिशत के मात्र बिल ही आते हैं। यह पैसा अधिकारियों एवं मंत्री जी की जेब में जा रहा है। यदि निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए तो एक बड़ा घोटाला उजागर होगा।

जिले में पर्याप्त बीज होने के बाद भी बाहर से खरीदा गया बीज : पन्ना जिले में रबी फसल हेतु जिले में पंजीकृत बीज समितियों के पास पर्याप्त बीज होने के बावजूद चना एवं गेहूँ का बीज जिले के बाहर की समितियों से खरीदा गया। आखिर क्यों? बीज की खरीद-फरोख्त में अधिक से अधिक कमीशन पाने के चक्कर में कृषि अधिकारी पन्ना द्वारा नियमों को बला-ए-ताक रखकर बीज की खरीद कर जहां शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वहीं किसानों को अमानक स्तर का बीज बेचकर किसानों को कंगाल बना दिया गया है। कृषि अधिकारी पन्ना द्वारा खरीफ की फसल के दौरान भी एक प्राइवेट संस्था को फायदा पहुंचाने एवं कमीशन के चक्कर में सोयाबीन का बीज नगद में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से वितरित करवाया गया। हाईकोर्ट के आदेशानुसार किसानों को

बीज की नगद बिक्री केवल सहकारी समितियों के माध्यम से की जाना चाहिए न कि कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा। **बीजों की गुणवत्ता की जांच के बिना बांटा जा रहा अमानक बीज**


भरपुर फसल की पैदावार की उम्मीद में किसान ऊंचे दामों पर कृषि विभाग से उन्नत बीज खरीदता है, यही बीज उसे धोखा दे रहा है। कृषि विभाग एवं बीज वितरक समितियों की मिलीभगत से पिछले कई वर्षों से अमानक बीज खरीदी जा रही है जिससे जिले का किसान बर्बाद होने के कगार पर है। आखिर क्या कारण है कि जो बीज विभाग द्वारा अन्य जिलों से मंगाया गया है, उसकी गुणवत्ता जांच क्यों नहीं करवाई गई? पूर्व में भी जिले भर में जो सोयाबीन का बीज किसानों को बेचा गया था उसका जर्मीनेशन 50 से 55 प्रतिशत ही रहा है जिसने सोयाबीन बोने वाले किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी थी। चूंकि जो बीज विभाग द्वारा अधिक कमीशन के चक्कर में खरीदा गया था, वह बीज अमानक था। जब इस बीज को गुणवत्ता जांच हेतु शासकीय प्रयोगशाला ग्वालियर में भेजा गया तो यह वास्तविकता सामने आई कि यह बीज अमानक है। असल बात यह है कि विभा गके अधिकारियों, बीज निरीक्षकों का पूरा ध्यान बीज विक्रय करने वाली एजेंसियों से मिलने वाली मोटी रकम पर ही केन्द्रित रहता

है।

पर्याप्त बीज के बावजूद नहीं मिल पा रहा बीज

जिले में विभाग के पास पर्याप्त बीज उपलब्ध होने के बाद भी किसानों को बीज वितरित नहीं किया गया है, जबकि जिले में गेहूँ की 80 प्रतिशत बुवाई हो चुकी है। वहीं चने की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है। रबी की फसल बुवाई हेतु कृषि विभाग के पास चने एवं गेहूँ के बीज का पर्याप्त भंडार मौजूद था परन्तु इसके बाद भी किसानों को विभाग द्वारा समय पर बीज नहीं बांटा गया जिसकी मुख्य वजह भी जिले के बीज व्यापारियों को लाभ पहुंचाना था। समय पर बीज न मिल पाने से परेषान अधिकांशतः किसानों ने प्राइवेट बीज विक्रेताओं से बीज लेकर जैसे तैसे अपनी बोनी पूरी की है जिसका उदाहरण है कि अभी तक 14825 क्विंटल बीज की मांग के विपरीत अभी तक 3330 क्विंटल बीज ही विभाग द्वारा वितरित किया गया है। जिला कृषि उपसंचालक द्वारा यह बताया गया कि अभी तक जिले में 43 प्रतिशत ही बोनी हुई है जो कि वास्तविकता से परे है। गेहूँ की 80 प्रतिशत बोनी हो चुकी है एवं चने की बोनी खत्म हो चुकी है, चने की 15207 क्विंटल बीज वितरण के लक्ष्य के विपरीत मात्र 2690 क्विंटल बीज विभाग द्वारा वितरित किया गया है।

SBI से गौतम अदानी को 6200 करोड़ का लोन वो अच्छे दिनों का वादा!



गौतम अदानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयला उत्खनन का प्रोजेक्ट मिला लेकिन अदानी के इस प्रोजेक्ट के लिये अदानी को पैसा चाहिये था।

अदानी ने The Royal Bank of Scotland, Deutch Bank (German Bank) Deewj HSBC bank जैसी बैंकों से लोन मांगा सबने मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सब बैंकों ने लोन को इंकार किया। अदानी Citigroup और JP Morgan Chase जैसी कम्पनियों के पास गया इन्होंने भी पैसा लगाने से मना कर दिया।

UNESCO इस प्रोजेक्ट के विरोध में है क्योंकि पर्यावरण और World Heritage Site को इस प्रोजेक्ट कि वजह से रक्तरा है। वहां के लोगो का भी उसे विरोध है। इसलिए भी अदानी को इस प्रोजेक्ट में पैसा देने को कोई तयार नहीं था।

ऐसे वक्त में गौतम अदानी के खास दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आये। नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना। इस योजना से करोड़ों बैंक खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शुरू किये गये और इन खातों में भारतीय लोगोने 5000-6000 करोड़ रुपये बैंकों में जमा करा दिये। अब SBI से गौतम अदानी को 6200 करोड़ का लोन दिया जा रहा है। यह संभवतः किसी भी भारतीय बैंक द्वारा विदेश में किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाने वाला सर्वाधिक लोन होगा। पहले ही अदानी पर 72,632 करोड़ का कर्जा है। उसका सालाना ब्याज 5,733 करोड़ है। यह इंटरस्ट कवरेज रेशो 1.57 होता है। यह 1.5 से ज्यादा हो तो उसे वसूली में हानिकारक माना जाता है और वैसी हालत में बैंक कर्जा नहीं देती। ब्याज देना भी कंपनी को मुश्किल हो रहा है। तो भी Wi 6,200 करोड़ लोन दे रही है। अदानी के ऑस्ट्रेलियन कोल कंपनी पर भी 1 बिलियन डॉलर का कर्जा है, निगेटिव शेअरहोल्डर फण्ड, जीरो आमदनी, हाय कैश बर्न से कंपनी मुसीबत में है। इसके बावजूद एसबीआई ने उन्हें 6200 करोड़ रुपए का लोन देना मंजूर किया है। वह भी तब जब बैंक लगातार यह बता रहे हैं कि कंपनियों को पहलेही दिया गया कर्ज वसूलना मुश्किल हो रहा है .लोगो की मेहनत कि कमाई जिसे देश में रोजगार उपलब्ध करने के लिये या फिर देश में मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने पर खर्च करना चाहिये था उसे एक उद्योगपती के फायदे के लिये दिया जा रहा है.नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपती दोस्तों के साथ मिलकर इस देश को और इस देश कि जनता को लुट रहा है।

गूगल पर adani australia mines खोजने पर और भी भयानक तथ्य सामने आते हैं। मोदी ने अमरीका जाकर दवाई की कंपनियों का भला किया, ऑस्ट्रेलिया जाकर अदानी का। यही था 'वो अच्छे दिनों का वादा'!

मप्र सरकार 90,000 करोड़ के कर्ज में

मध्यप्रदेश की वित्तीय सेहत बिगड़ गई है। राज्य को बीमारू राज्यों से निकालकर विकसित राज्य की सूची में ला खड़ा करने का हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना गड़बड़ा गया है। हालात इतने बुरे हैं कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा तक नहीं निकल पा रहा है। वैसे, भाजपा की सरकार के 11 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका है जब रोजमर्रा के खर्च निकालने में भी सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य पर 90 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। इसकी भरपाई तो दूर राज्य सरकार के लिए कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए पैसे की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नंबर-1 राज्य बनाने का सपना कैसे पूरा होगा?

26 मई को जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार गठित हुई थी तो उसके कुछ दिन बाद मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा था कि वे अपने विभाग से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर विकास कार्यों के लिए फंड मांगने जाएं। उस समय मुख्यमंत्री की इस पहल को विकास के प्रति समर्पण माना जा रहा था। लेकिन अब जाकर यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश में वित्तीय संकट आ खड़ा हुआ है। आलम यह है कि दिखावे के लिए सरकार द्वारा किए गए बेहिसाब खर्च से इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश 90,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दब गया है। प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि धन की तंगी से लोक कल्याणकारी योजनाएं अटक गई हैं। लगभग 11 वर्ष के भाजपा सरकार के कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में आर्थिक संकट का हालात निर्मित हुए हैं। यही नहीं मुख्यमंत्री की लगातार कोशिश के बावजूद केंद्र से जो पैसा आना चाहिए, आ ही नहीं रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। अक्टूबर में लिए गए एक

हजार करोड़ रुपए के कर्ज को मिलाकर इस वर्ष ही सरकार लगभग साढ़े 6 हजार करोड़ कर्ज के रूप में ले चुकी है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय कुप्रबंधन और बेहिसाब खर्च ने सरकार का खजाना खाली कर दिया है। आलम यह है, कि प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन बांटने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। संभवतया यह पहला मौका है, जब किसी एक ही सरकार के लगातार 11 साल के कार्यकाल के बावजूद प्रदेश में इस तरह की कंगाली के हालात बने। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज की एक वजह यह भी है कि सरकार की सोच है कि प्रदेश की साख बढ़ी है और मप्र अब कर्ज पाने के मामले में ए ग्रेड की श्रेणी में आ गया है। इसके तहत प्रदेश की क्षमता और अधिक कर्ज ले पाने की है। इसी कर्ज के सहारे प्रदेश की माली हालत को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सरकार की इसी सोच ने प्रदेश को 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबो दिया है। 11 साल में कर्ज का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। अप्रैल से नवंबर तक सरकार ने दस साल के

लिए अपनी सिक्वोरिटी गिरवी रखकर बाजार से 6,500 करोड़ का कर्ज उठाया है, जबकि पिछले साल सितंबर तक सरकार ने केवल 1500 करोड़ का कर्ज बाजार से लिया था। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खर्चों में बेतहाशा बढ़तीरी के चलते प्रदेश सरकार की माली हालत डगमगाने लगी है। स्थिति इतनी बदहाल है कि एक महीने में दो-दो बार कर्ज लिया जा रहा है। वित्त विभाग के एक अफसर के अनुसार संभव है कि प्रदेश की भाजपा सरकार इस वित्तीय वर्ष में एक वर्ष में कर्ज लेने का रिकार्ड तोड़ दे।

फर्स्ट क्लास सफर पर रोक: मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने शिवराज सरकार भी केन्द्र की तर्ज पर कॉस्ट कटिंग फार्मूला अपनाएगी। सरकार के आला अफसर अब विमान सफर में बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग फार्मूला बना रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति मिलने पर आदेश जारी होंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए दो माह पहले ही आदेश जारी कर विमान में इकोनॉमिक क्लास में

सफर करने की पात्रता तय कर चुकी है। अब नए फार्मूले में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) को भी इकोनॉमिक क्लास में यात्रा की पात्रता का प्रावधान लागू होगा। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भोपाल और इंदौर के बड़े और महंगे होटलों में भी बैठकों पर रोक लगेगी।

चुनावी घोषणाओं से बिगड़ी स्थिति: वित्त विभाग के अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक प्रदेश में ऐसे कौन से खर्च बढ़ गए हैं, जिससे खजाने पर बोझ पड़ रहा है। जानकार बताते हैं ओला-पाला पीडिटों को बांटे गए 2,000 करोड़ रुपए से भी सरकार का गणित गड़बड़ाया है। लेकिन सबसे अधिक स्थिति चुनावी घोषणाओं से बिगड़ी है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाएं राज्य की वित्तीय हालत पर भारी पड़ रही है। हालत यह है कि सरकारी खजाने की हालत खस्ता है। चालू वित्तीय वर्ष में अकेले लोक निर्माण विभाग पर 7000 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। जो विभाग के कुल बजट का दोगुना है।

प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ों रु. रोज की डकेती पर लगाओ लगाम

सफेदपोश डकैतों के गिरोह है सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कं.

सारी निजी कं. तो डकैत हैं ही, सरकारी बीएसएनल भी डकैती और लूट में पीछे नहीं, या सबसे चंदा डकारा

राष्ट्र में नए प्र.मं. के रूप में मोदी को आसीन हुए छह माह से ज्यादा गुजर गया, चुनाव से पूर्व और पश्चात मोदी ने भ्रष्टाचार दूर करने जनता को लूटने और डकैत जालसाजों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाने के जो दिवा स्वप्न जनता को दिखाए हैं और न खाऊंगा और न खाने दूंगा की जो बात की है, बेशक बहुत अच्छी है कि यदि वाणी में ये संकल्प है तो हृदय से भी बात पूरी कर जनता के साथ न्याय किया जाए। वर्तमान में सबसे बड़ी सफेदपोश डकैती डालने और जनता को रोज हजारों करोड़ रु. की चपत लगाकर लूटती है। इसके सत्यता का प्रमाण यह है कि राष्ट्र में लगभग 100 करोड़ सिम है जिस पर मात्र रु. 10 प्रतिदिन की लूट या वादे के विपरीत पूर्व भूगतान या पश्चात भुगतान में विभिन्न सेवाओं यथा गाने, प्रेषण, धुन अर्थात् कालर टोन प्रेषी धुन के नाम से ये बटन दबाए, वो बटन दबाए धुन चढ़ाने के रु. 15 मासिक शुल्क रु. 15, जानबूझकर धारक ने संख्या मिलाकर बात करने का प्रयास किया तो तुरंत आता है कि जिससे बात करना चाहते हैं मोबाइल बंद है और आप अपना ध्वनि संदेश मात्र ये बटन दबाइये सेवा शुल्क 75 पैसे में प्रेषित कीजिए। जबकि लक्ष्य पर फोन धारक का फोन चालू है और उपकरण खाली है। पर बात करवाने की अपेक्षा आप को बोला जाता है उस पर ध्वनि संदेश विवश

होकर भेज दें और 2-5 पैसे की बात के बिना काम के 75 पैसे चुका दें, फिर बात करते-करते बार-बार संपर्क कटेगा। संकेत उड़वा दें और मोबाइलधारी बार-बार फोन फोन लगाकर बात करेगा और हर बार उसको नए सिरे से काल शुरू करने पर हर बार से नए शुल्क की गणना की जाकर मोबाइल कं. वसूली करती है। जिसे संचार तकनीकी की भाषा में काल ड्रापिंग कहा जाता है।

इससे भी रु. सैकड़ों करोड़ की लूट हर दिन की जा रही है। अब डाटा और इंटरनेट के नाम पर हजारों करोड़ रु. का नया लूट का कारनामा भी ये कं. दिखा रही है। यहां तक कि शासकीय दूर संचार कं. भ्रष्ट शूकर निकमां लि. ने 14,15,16 अगस्त को घोषणा की रु. 68 का डाटा व्हाउचर डलवाकर 1 जीबी 15 दिन के लिए उपयोग करें। इसके व्हाउचर को डलवाने के बाद में उस प 15 दिन में एक भी बार इंटरनेट नहीं चला। ये है इन हरामखोर भ्रष्ट शूकर, निक्कमां लि. की जालसाजियां। जब शासकीय कं. का ये हाल है तो रिलायंस, टाटा, वीडियोकोन, एयरटेल, भारती, आइडिया, वोडाफोन के डकैतों की जनता की जेब पर डाली जा रही डकैती का अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि आपको लड़कियों से बात करने पर रु. 3 से 5 प्रति मिनट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रु. 5/- केवल मिस काल

के, फोटो डाउनलोड करने के दो रु. ये साफ्टवेयर के 10, उसके 20 आदि की भी वसूली बेइतिहा तरीके से की जा रही लूट का हिस्सा ही है। फिर ये गिद्धों की फौज और डकैतों का गिरोह जिन शिकायत नं. पर शिकायत करने की बात करता है, वो सब कॉल सेंटर्स ठेके पर चलाए जाते हैं। यहां बात करने बैठए गए वो शूकरों की फौज न तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और न ही कोई खास प्रशिक्षित होती है। पहले तो अब आप ये नं. दबाइए आप को जानकारी के लिए ये नं. दबाइए अब वो दबाइए इस प्रकार से 5-7 मिनट से लेकर 30-40 मिनट तक ये नीच जानवर उस बात करने वाले को इतना सता देते हैं कि इस बतमीजी और समय बर्बाद करने की अपेक्षा शिकायत करना ही भूल जाता है, यही बदतमीजी श्रानों निकमों की फौज बनाम बीएसएनल ने भी हर काम ठेके पर देकर शुरू कर दी आखिर ये कं. अपनी शिकायतों के लिए एसएमएस नं. क्यों नहीं देती है।

भारतीय संचार मंत्रालय और उसका दूर संचार नियामक आयोग के भूखेरे जानवरों की फौज इन सब के दूर संचार, मोबाइल, सेवा प्रदाता कं. अरबों रु. का कमीशन डकार कर जनता से होने वाली हर दिन हजारों करोड़ रु. की लूट क्यों रोकेगी, फिर उसका नाम ही है भा. दूर संचार नियामक आयोग, भारत में बनाया गया हर आयोग

का उद्देश्य ही होता है, आय का योग तलाशों, योग का संयोग मिलते ही आय की अपनी व्यवस्था करो या इंग्लिश भाषा इसे कमीशन कहा जाता है। हर कार्य कमीशन पर ही होता है। अब जनता के 100 करोड़ सिमधारी तो कोई कमीशन या ट्राई को देंगे नहीं, तो प्राधिकारी तो उसी की सुनेगा। जो मोटी रकम इस नियामक प्राधिकारी को दे रहा है उसकी बला से राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की जनता की रक्षा, उसका धन या वो स्वयं बर्बाद हो रहा है, भारत में ब्रिटीश कं. वोडाफोन ने तो भारत में अपनी सेवाओं देने से पहले ही यह शर्त रखी थी की उस पर कोई भी उपभोक्ता उसके देने से पहले ही यह शर्त रखी थी कि उस पर कोई भी उपभोक्ता उसके शुल्क को लेकर कोई भी प्रकरण न्यायालय में नहीं लगाएगा, जिससे हमारी सरकार के, ट्राई के धूर्तों ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया, अर्थात् ये जनता को सरेआम न केवल लूटें वरन उसकी बातों रहस्यों, गोपनीयता देश के बाहर ले जाकर उसका दुरुपयोग करें, साथ ही उसके इस डाटा का सदुपयोग अपनी कमाई के लिए दुनिया में न केवल मित्र राष्ट्रों की कंपनियों वरन भारत के घोर शत्रुओं और चीन, पाकिस्तान को बेंच कर भी हो रही है। पर हमारी सरकार और उसकी नियामक प्राधिकारी संस्था ट्राई अपनी मोटी कमाई के चलते मोबाइल कं. की लूट पर से वरन अपनी जनता के डाटा बेंचने और गोपनीयता भंग

करने से भी आंखे भींच कर बैठी है।

हमारे नए प्रधानमंत्री मोदी यदि जनता को अच्छे दिन का वादा कर चुनाव जीत कर आए हैं। तो कम से कम राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के भविष्य के दृष्टिकोण से तत्काल वोडाफोन जैसी कं. को देश से बाहर निकालें, जो कि हर उपभोक्ता की सारी बातचीत को अपनी विदेश कं. को जासूसी करने के लिए उपलब्ध करवा रही है। इस संबंध में मोदी सरकार को चाहिए के वे राष्ट्रहित और जनहित के लिए मोबाइल कं. से लूट न केवल लूट को रोकने के लिए, जनता के साथ हर कदम पर विभिन्न प्रकार के छलकपट रोकने, जालसाजी पूर्ण व्यवसाय, ठगने यौनाचार, विभिन्न योजनाओं में लालच देकर लूटने वाली अनचाही कालों को रोकने के साथ जनता की बातचीत, लघु संदेश, बहुप्रचारित संदेश वाट्सएप पर चल रहे संदेशों को रिकार्ड कर न केवल विदेशी कं. विदेशों यथा अमेरिका ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों को भेजने, बेंचने से रोके, अन्यथा उनके विरुद्ध कानून बनाकर न्यायालयों में प्रकरण चलाए जाए यदि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी की अधि. 2000 कमजोर पड़ रहा हो तो, दूसरी ओर मोबाइल कं. की जालसाजियों, कुछ का वादा कर कुछ करने और वसूली करने की लूट पर कानून लाकर, पहले चेतावनी देकर समझाइश दी जाए और अवैध

वसूली को रोकने की व्यवस्था की जाए, जो भी मोबाइल सेवा प्रदाता कं. जैसे वोडाफोन जो कि न केवल लूट करती है वरन उसने जो देश में कार्य करने का समझाइश का ज्ञापन सरकार के साथ जिसमें कोई भी उपभोक्ता उसकी लूट के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता, तत्काल रद्द किया जाए देश में वो राष्ट्रहितों और जनहितों को ध्यान में रखकर और सख्ती से पालन कर काम करना चाहे तो ठीक अन्यथा तत्काल उसे उचित मुआवजा देकर देश के बाहर फेंका जाए, ताकि भारतीय कं. को सबक मिले और वे भी राष्ट्रहित और जनहितों को ध्यान में रखकर देश में अपना व्यवसाय करें।

पुरानी जालसाजों की सरकार ने क्या समझोता किया है, उसे भूल जाए, यदि उसने राष्ट्र व जनहितों के विरुद्ध कार्य किया है। तो उसे मानने और देश की जनता के हितों के विरुद्ध ऐसे समझौतों को स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं है, दुनिया के किसी भी देश का न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा जो चाहें जहां पर प्रकरण चलाकर शासन की इस सत्यता के विरुद्ध चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। सारे देशों के राष्ट्र समर्पित न्यायालय खारिज कर देंगे, किसी भी सेवा प्रदाता के मुकदमों को,

प्र.मं. मोदी की सफलता और असफलता के विपरीत राष्ट्र की जनता को उनका समर्पण मात्र ज्यादा मायने रखता है।

क्रूड के दाम 45% गिरने पर भी पेट्रोल के दाम तो सिर्फ 11% ही कम

ऊपर से वाहवाही लूटने के प्रयास


देश में पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है उसकी पूरी प्रोसेस :क्रूड की करंट वेल्यु = \$66/barrel and \$1=Rs.61/-1 Barrel (=159 litres) क्रूड ओइल @ \$66 =Rs = 4026 /-1 लिटर पेट्रोल के लिए चाहिए नेट क्रूड ऑइल (कीमत) 22 ?..अब क्रूड आयल में से एक लिटर पेट्रोल कन्वर्ट करने की प्रोसेसिंग कोस्ट होती है 6 रूपये (ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट मिलाकर)..यानी वेरिएबल कोस्ट (22 रूपये + Custom Duty 2.5% of base price 0.6 RS.) 22.6 + फिक्स कोस्ट (6 for Processing Cost + Rs6.35 Basic Custom Duty, Rs6 Special Additional Excise duty, Rs.2 Additional Excise duty then after including education and road cess @ of 3 % on Add. Excise Duty, Totals up to Rs)

20.41 रूपये = 43.01 रूपये में एक लिटर पेट्रोल मिलता है..फिर उसमें VAT लगता है...(जिसके अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट होते हैं)जिसे हम एक्सेज 43.01 रूपये के 20 % गिने तो होते हैं 8.60 ? यानी कुल मिलाकर होते हैं 51.16 रूपये .. मप्र में 27% (cascading effect)और आखिर में पेट्रोल पंप डीलरो को पर लिटर 90 पैसे कमिशन दिया जाता है तो होते हैं कुल 52 रूपये और 5 पैसे लेकिन फिर भी आज भी हमें तो पेट्रोल मिल रहा है 67 रूपये में... (और सरकारी ऑइल कंपनीया भी अपने को तो लोस में ही बता रही है..) अक्सर आम लोगो के पास ये सब माहिती नहीं होती और हमारी सरकार अभी पेट्रोल के दाम 1-2 रूपये कम करके वे देश के ऊपर बड़ा उपकार करते हो वैया कर रहे हैं और ऊपर से वाहवाही लूटने के प्रयास कर रही हैं..बल्कि पिछले तिन महीने में क्रूड के दाम 119 \$ से निचे उतरकर 66 \$ पर आ गए हैं..यानी क्रूड के दाम 45 % गिरने पर भी पेट्रोल के दाम तो सिर्फ 11 \$ ही कम किये गए हैं..कृपया ये जानकारी एपि करके देश के हरएक नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करे...ताकि सरकार की आंख खुले की देश के आम नागरिक आप जानते नहीं उतने जागृत है..

कोल्डड्रिंक नहीं जहर



आप सभी जानते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक कार्बन डाई ऑक्साईड CO2 और पानी H2O के मिश्रण से बनती है। पर क्या आप जानते हो कि इन दोनों के मिलने से क्या बनता है ?



यह कार्बोनिक अम्ल (CARBONIC ACID) है जो कि एक हल्का पर तेजाब है जिसकी ज 5.5 तक होती है पर हमारा शरीर 6.5 से 8.5 ज् ही ग्रहण कर सकता है। तेजाब का काम जलाना होता है जब आप इस तेज को पीते हैं तो आपको जलन महसूस होती है जिसे आप अपनी जीभ पर चिरचिरापन महसूस करते हैं और इसके हमारा शरीर पचा नहीं पाता तभी हमें तीखी डकारें आने लगती हैं जो हमारे नाक से निकलने लगती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी भी घातक तेजाब को पानी में मिला कर पी रहे हों। जब आप किसी बच्चे को कोल्ड ड्रिंक देते हो तो आप उसे हल्का जहर परोस रहे होते हैं क्योंकि यह तिल तिल कर मारने वाला जहर है जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है बिल्कुल एक दीमक लगी लकड़ी की तरह। तो इस बार से कोल्ड ड्रिंक को कहीं अलविदा। और आप फलों के जूस और शेक पर जोर दें क्योंकि इनसे जलन नहीं ताजगी मिलती है ?



मप्र परिवहन विभाग-लूटेरे, डकैत, जालसाजों का अड्डा

केश काउंटर सालभर से बंद, जिसके वाहन चालन की पात्रता नहीं वह चालक परीक्षा ले रही, वाहन फिटनेस गैर तकनीकी निरीक्षक देता है, जालसाज एजेंटों को अप्रत्यक्ष मान्यता, वाहन विक्रेता, पंजीयन पर 1 से 2 प्रश अलग से वसूलते हैं। भ्रष्टाचार और जालसाजी के किस्से रोज छपते हैं पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकायुक्त को भी महीना पहुंचता है, सब चुप, लूट के लिए परि. निगम बंद, क्षे. सरकारी कं. शुरू, कदम-कदम जालसाजियां, वसूली का साम्राज्य है परिवहन विभाग

मप्र के परिवहन विभाग में पूरे मप्र के हर जिले और संभाग के और प्रादेशिक कार्यालय ग्वालियर तक में हर प्रकार के गैरकानूनी कार्य कभी धन देकर कानूनी बना दिया जाता है। जिनकी जालसाजियों, भ्रष्टाचार के किस्से हर दिन देश और प्रदेश के समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। परिवहन आरक्षकों की भर्ती के मामलों में तो स्वयं प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज भी उलझा है, जिसके अंतर्गत 53 से ज्यादा परिवहन आरक्षकों की भर्ती भाभीजी के खास जिले गोंदिया से ही कराई फिर अभी परिवहन आयुक्त सबसे ज्यादा मलाईदार पद पर जहां हर दिन रु. 1 अरब से ज्यादा की प्राप्ति अवैध धंधों से होती है। जिसमें प्रदेश के मुमं. शिवराज के चहेते पूर्व के जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव जिनके बारे में, संघ लोक सेवा आयोग ने लिखित में बताया कि उन्हें मु.प्र.से. का स्तर प्रदान नहीं किया गया है, फिर भी इंदौर में ही 2 वर्ष जिलाधीश का पद संभाल चुके हैं।

इसके बाद राज्य से.का.प्रशा. सेवा का यह पदोन्नत अधिकारी 6-7 वर्ष तक जनसंपर्क आयुक्त का पद संभाल चुके हैं। वैसे भी राज्य सेवा के अधिकांश महाभ्रष्ट और जालसाज अधिकारी ही मोटा करोड़ों में धन खर्च कर ही भा.प्रशा. सेवा की पदोन्नति प्राप्त करते हैं। अर्थात् परिवहन आयुक्त के पद पर बैठे राकेश श्रीवास्तव यहां केवल मोटी वसूली करने और मुम. शिवराज के लिए धन बटोरने के लिए बैठाया गया है। वैसे भी इस महाभ्रष्ट और जालसाज विभाग में हर कदम हर प्रकार के कार्यों में खुला लूट वसूली का तांडव ही होता है, चाहे वह पूरे मप्र में नं. प्लेट लगाने वाली अनेकों राज्यों से ब्लेक लिस्टेड, कुख्यात कंपनी को दो वर्ष का ठेका देने की

बात हो, स्मार्ट चिप कं. को वाहनों और वाहन चालकों, परिचालकों के वाहन चालन अनुज्ञापति जारी करने से लेकर, दो पहिया वाहनों के पंजीयक, मार्ग कर आदि पर कारों, ट्रकों, बसों के पंजीयन, 35 सीट की बसों के कर 35 सीट पर वास्तविकता में बसों में 50-60 सरट तक लगी होती हैं व यात्रियों को जानवरों से ज्यादा बदतर हालातों में सताने से लेकर दुगुने किराए तक में यात्रा करनी पड़ती है। इन सबके लिए ये ही सब जिम्मेदार होते हैं। परंतु परिवहन विभाग को लूट से मतलब है बस, कोई कुछ भी करें परिवहन विभाग में वाहनों में फिटनेस भी कोई मेकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं करता जबकि यथार्थ में वाहनों की सामने और पीछे की लाइट बाहरी रंगरोगन, चमक-धमक ही फिटनेस नहीं होती, जो कि परिवहन निरीक्षक और सहा. परि. अधिकारी देखता और तीन-चार कोणों से चित्र खींच कर फिटनेस जारी कर रु. 500 से 1000 अंदर कर आंख भींच कर गाड़ियों की फिटनेस जारी कर देता है, फिटनेस से तात्पर्य न केवल बाहरी वरन कार, मोटर, बस व अन्य दो पहिया और चार पहिया, छह, आठ या अधिक पहिया वाहनों की फिटनेस से आंतरिक, बाहरी इंजिन, फिटनेस, चालक सवारियों की सुरक्षा के साथ सड़क पर दौड़ने पर अन्य वाहनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है, जो केवल मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजिनियर ही समझ सकता है।

वाहनों में आग लगने पर चालक व सवारियों कार के ऑटोमेटिक लॉक न खुलने से अंदर ही जलकर मर गए, जबकि हर कार में स्वचलित के साथ हाथ से खुलने की भी व्यवस्था होती तो हर वर्ष कारों में आग लगने

पर मरने वालों की संख्या काफी कम होती, परंतु वाहन निरीक्षकों को इन सबसे क्या मतलब है।

बसों व अन्य यात्री वाहनों से परमिट के नाम, पंजीयन कर चोरी के नाम पर होने वाली अरबों रु. की कमाई को ध्यान में रखते हुए ही फिर सारी निजी बसें भाजपा कांग्रेस के नेताओं, पुलिसिए निरीक्षकों, अधिकारियों व बड़े गुंडे बदमाशों की है, जिनमें न केवल यात्रियों को जानवरों से बदतर हालात में यात्रा करने के साथ न केवल चालकों परिचालकों की बदतमीजियां, मारपीट झेलने के साथ ही मुहमांगा किराया भी देना पड़ता है। महिलाओं के साथ न केवल छेड़छाड़ वरन पूरे प्रदेश में चलने वाली एक लाख से ज्यादा बसों में खुलकर नॉच-खचोंट और रात्रि की बसों में यौनाचार भी किया जाता है, जिसमें 99.9 प्रश मामलों लड़ाई, झगड़ों और बदनामी के डर से दब जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्रियों में पूर्व के दिग्गी दानव से लेकर बाबुलाल गौर और शिवराज ने पूरी तरह मप्र राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर समाप्त करवा दिया, पूरे देश में मप्र में 51 जिले और 7.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला एक मात्र प्रदेश है जहां पर जानबूझकर परि. निगम भाजपा के धूर्तों जालसाजों ने प्रदेश के भ्रष्ट गिद्ध अफसरों के साथ मिलकर बंद कर दिया जबकि सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्र सरकार के निगम को पुनर्जीवित करने के आदेशों को ताक पर रख दिया गया, और क्षेत्रीय स्तर पर एआईसीटीसीएल, टूरिज्म कार्पो. फिर क्यों बसे चला रहे हैं। केवल जनता को लूटने के लिए। इंदौर के क्षे. परि. कार्या. में भी साल भर से ज्यादा समय नगदी जमा करने के काउंटर बंद कर दिए

गए, अब ऑनलाइन भुगतान के नाम पर 60 रु. ऑनलाइन भुगतान के और 40 रु. वेबसाइट शुल्क, रु. 30,50,80 के साथ में भी वसूला जाता है। मार्ग शुल्क, कार्ड शुल्क व अन्य जैसे पंजीयन शुल्क के नाम पर भी हरामखोर वाहन विक्रेता रु. 200 से लेकर रु. 2000 तक कभी पेनल्टी के नाम, वेब शुल्क नाम, ऑनलाइन पंजीयन के नाम वसूलने के साथ 1 से 2 प्रश तक एजेंट शुल्क भी वसूलते हैं। जिसमें यहां के बाबुओं से लेकर मोटी रकम क्षे. परि. अधिकारी से लेकर परिवहन आयुक्त तक पहुंचता है। कासलीवाल हॉंडा से एक हॉंडा शाइन दिनांक 13.11.2014 को खरीदी की कीमत रु. 46785, रु. 6083/35 का 13 प्रश की दर से वेट कुल रु. 52878 इस हरामखोर जालसाज ने रु. 1000 और वसूला जिसमें रु. 500/- नगर निगम का पार्किंग शुल्क रु. 500 वारंटी के नाम अधिक वसूला गया, जब सारे कागज लेकर क्षे. परि.का. पहुंच कर टैक्स जमा करवाने की कोशिश की तो मालूम पड़ा नगदी काउंटर बंद कर दिए हैं। अब डीलर ही जमा करेगा टैक्स, 7 दिन के बाद पेनल्टी लगती है, 4 दिन बाद 17.11.14 को पुनः कासलीवाल के पास पहुंचकर टैक्स जमा करने के लिए कहा, तब मालूम पड़ा कि 13 प्रश वेट की राशि रु. 6083 पर भी 7 प्रश रोड टैक्स अर्थात् टैक्स पर भी 7 प्रश रोड टैक्स के हिसाब से रु. 426 कुल रु. 3702, पंजीयन शुल्करु. 110 जिसमें रु. 60 शुल्क व रु. 50 दंड, स्मार्ट कार्ड के रु. 200, ट्रेड फीस के नाम से रु. 40 वसूले गए। जबकि एजेंट के नाम से रु. 500 से 700 और वसूलता परंतु चुंकि मैंने फाइल सीधे स्वयं के द्वारा

पहुंचाने का कहा था इसलिए वह जोड़कर नहीं वसूला गया। साथ ही एसेसरीज जो रु. 3000 से ज्यादा की थी, जिसकी बाजार कीमत मात्र रु. 1000 थी, अर्थात् वाहन विक्रेता को नए वाहन खरीदारों को लूटने के लिए स्वयं इस महाजालसाज परिवहन विभाग ने डकैती डालने के लिए छोड़ दिया है जिसमें इनका भी हिस्सा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 13 प्रश वेट पर भी 7 प्रश रोड टैक्स क्यों और कैसे वसूला जा रहा है जबकि यही वेट मु.मं. शिवराज ने 5 प्रश कर रखा है और 2 पहिया से 13 प्रश यह है शिवराज की जनकल्याण के नाम पर खुली लूट की छूट दे रखी है। कारों पर 5 प्रश वेट करने के लिए वित्त मंत्री और मुम. ने अरबों डकारे हैं।

वैसे तो हमारे धूर्त मु.मं. और मंत्री परिषद ने परिवहन विभाग के एजेंटों को सरकारी परिवहन में अधिकारी के पद पर अवैतनिक पंजीयन का फैसला ले ही लिया था, पर समय माया डॉट कॉम की साइट ने इसका पुरजोर विरोध किया वरन् इस मंसूबे पर पानी फेर दिया ये वही एजेंट है जो अटल बिहारी वाजपेयी का इंदौर से ड्रायविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर शासन की दो पहिया वाहनों के पंजीयन पर हजारों कारों, बसों, ट्रक पंजीयन करवा देते हैं। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर और शासन को वेट और रोड टैक्स की की करोड़ों की चपत देते हैं। चोरी की गाड़ियों का पंजीयन, गाड़ियों के नाम, नंबर प्लेट, इंजिन चैसिस नंबर बदलकर बीमा भुगतान और पंजीयन करवा दिए जाते हैं। इन सभी कांडों में नीचे बाबुओं, एवजियों से लेकर, निरीक्षकों, सहा. क्षे. परिवहन अ., क्षे. परि.नि. तक की मिली-जुली खिचड़ी पकती रहती है।

अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सहा. क्षे. परि. अधि. अर्चना मिश्रा जिसके पास खुद का ड्राइविंग लायसेंस नहीं है, वाहन चलाने का अनुभव नहीं है, फिर भी फिटनेस करती है, बेशक स्टॉफ की भारी कमी न केवल बाबुओं, परिवहन आरक्षकों, निरीक्षकों, एआरटीओ आदि सभी में हैं, शासन में बैठे धूर्त आईएएस, अर्थात् इंडियन एव्यूसिंग सर्विसेज अधिकारियों की अपनी मौज मस्ती और वसूली पूरी भाड़ में जाए सरकार पूरी... के आधार पर येनकेन प्रकारेण हर कर्मचारी अधिकारी से एक पद पर दो-दो पदों का काम लिया जा रहा है, जिससे स्वाभाविक रूप से न केवल चारों तरफ भ्रष्टाचार और जालसाजियां बढ़ रही हैं वरन अवैधानिकता और जनता के साथ लूट भी बही है।

लोकायुक्त की टीम को कार्यालयीन समय में 3 से 5 बजे के बीच इस विभाग में छापे मारकर हर कर्मचारी अधिकारी की तलाशी लेना चाहिए। एक ही दिन में रु. 2 से 5 लाख अवैध रूप से वसूला गया पकड़ा जा सकता है, हर दो पहिया और चार पहिया वाहन डीलरों के यहां भी छापे मारकर वाहन क्रेता से टैक्स के नाम पर पेनल्टी, ट्रेड शुल्क व अन्य शुल्क की वसूली के विरुद्ध प्रकरण कायम किए जाने चाहिए।

एआरटीओ के पद पर बैठे अरविंद तिवारी जो इंदौर और आसपास में दो दशक से ज्यादा पूरे कर चुका था, छापे में 1 अरब रु. से ज्यादा की संपत्तियों का खुलासा हुआ, बाबु धुलधोये की भी करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई, अर्थात् बाबु करोड़ों के मालिक है तो एआरटीओ आरटीओ महीना बांटकर ही बचे भी रहते हैं। करोड़ों कमाकर चुपचाप निकल जाते हैं।

पेज 1 का शेष

मुंह लगे दलाल, एजेंटों की सरकार में भूमिका निभाते हैं। वहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सभी केन्द्र व राज्यों के मंत्रीगण इन हरामखोर जालसाजों की कठपुतली बन न केवल नाचते हैं। वरन् सारी लूट, खसोट व भ्रष्टाचार की लूट-पाट में से कुछ टुकड़े इन जनता के बीच में से चुनकर आए मंत्रियों को डालकर, रबर स्टॉप्स की तरह जहां चाहते हैं अंगूठा या हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इन जालसाजों का ही सबसे ज्यादा काला धन स्वीट्जरलैंड की बैंकों वरन् दुनिया की बैंकों में जमा है, ये ही वो शूकरों की फौज है, जो काले धन के यथार्थ को बाहर आने देना नहीं चाहती है, जिसने अपने काले धन की कीमतें बढ़ाने और दुगुनी कमाई करने के लिए जो डॉलर 1985 में 14 रु. था उसे 1990 में रु. 30, 2000 में 45 रु. और 2010 में 60 और 2013 में 70 रु. तक घुमा लाए थे ताकि अगर कालेधन की कीमत भी दोगुनी चौगुनी मिलती रहे, फिर जिन कालेधन वालों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा था, डॉलर की कीमतें बढ़ाने में ही इन जालसाजों ने अरबों रुपए उनसे बटोर लिया, अब कैसे लाए काला धन असली नेपथ्य के पीछे कठपुतली नचाने वाले तो ये ही धूर्त है। अब मोदी, जेटली, बेचारे झेल रहे हैं संसद में विपक्ष का।

अब विदेशी सीधा निवेश, जिसमें हर क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कं. से इन मुखेरे शानों ने विदेशों में मोटा कमीशन हजम कर लिया है। बैंकों, बीमा, विद्युत उत्पादन, हथियार उत्पादन, खाद्य सामग्री का थोक व फुटकर व्यापार, वस्त्रों, संचार, रेलवे लाइन, इन सबमें विदेशी धन लगवाने के लिए उतावले हैं। यहां का 3 अरब करोड़ विदेशी बैंकों में पड़ा रहकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था चलाए और हमारे देश में ये

पूंजीपतियों की कठपुतली, नौटंकीबाज मोदी, मत करो देश गिरवी

विदेशी शोषणकारी बहुराष्ट्रीय कं. जो कागजी डॉलरों का आभासी निवेश कर हमारे ही पानी, कच्चे माल, खाद्य सामग्री यथा सभी प्रकार के कच्चे माल, मेन पावर, मैनेजमेंट, मशीनरी का उपयोग हमारे देश का और देश में कर जो पानी की बोटल, पेप्सी, कोकाकोला, कोक, थम्सअप, जिसमें कीटाणुनाशक का प्रयोग हमारे बाजार में हमारे लोगों को 100 से 1000 गुना तक लाभ में बँचकर केवल लाभ जो अरबों रु. में होगा, बटोरकर ले जाएंगे, धीरे-धीरे महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा कर हमें फिर गुलाम बनाएंगे, इन सबका साथ देने के लिए करोड़ों का कमीशन, इस धूर्त आईएएस लॉबी ने डकार लिया है, अब मोदी भी अपने चारों तरफ बैठी इस चांडाल चौकड़ी को हां में हां मिलाकर सबको निमंत्रण दे रहा है।

प्र.मं. एक तरफ तो कहता है, कि हमारे देश में सबसे युवा कार्यशक्ति फौज है, दूसरी तरफ इन बहुराष्ट्रीय कं. को आमंत्रित कर विदेशी निवेश की वकालत कर हमारी युवा पीढ़ी को नपुसंक और हमारे संसाधनों को नकारा सिद्ध करने की वकालत करता है, या फिर बहुराष्ट्रीय कं. को सारे संसाधन सौंप देश का गुलाम बनाने की साजिश में मोदी भी शामिल हो गया है। यथार्थ यह है कि मोदी भी इस धूर्त, मक्कार, आईएएस लॉबी के न केवल नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। वरन् अपनी नाकामी को छिपाने के लिए झाड़ू उठाकर न केवल स्वयं बल्कि जो लाखों रु. में जनधन से वेतन ले रहे हैं, स्वच्छता अभियान के नाम पर सड़कों पर झाड़ू लेकर सफाई अभियान पर निकल पड़े हैं। इस नौटंकी से तो यह सिद्ध हो जाता है कि सफाईकर्मियों को जो वेतन जन-

धन से मिल रहा है, वो वेतन मुफ्त में दिया जा रहा है। या उसको सफाई की देखरेख करने वाले सुपरवाइजर भी भ्रष्ट हैं। जो उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं।

अर्थात् कार्य प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन लाने, कर्तव्य बोध करवाने की आवश्यकता है, साथ ही एससीएसटी एक्ट को समाप्त कर सफाईकर्मियों को पहले अनावश्यक मिली सुरक्षा को समाप्त करें, ताकि नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों में सफाईकर्मियों को जन-धन से दिए जा रहे वेतन की बर्बादी रोकी जा सके। यदि वे काम नहीं कर रहे, और प्रधानमंत्री को स्वच्छता के लिए बड़े-बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को स्वच्छता की नौटंकी करना पड़ रही है। आवश्यक यह है, कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय का यह धूर्त स्टॉफ बदला जाना चाहिए, अन्यथा यह अपने हजारों करोड़ के कमीशन के लिए देश के संसाधनों को गिरवी कर देश की जनता को गुलाम बनाने को आमदा हैं।

अब जब देश के प्रधानमंत्री है। मोदी तो इंदिरा गांधी की तरह इन भ्रष्ट पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. के षड़यंत्रों जो राष्ट्र के संसाधनों को कब्जे में लेकर देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। इन पर तुरंत लगाम लगाए, सड़कों पर झाड़ू की नौटंकी बंद कर सबसे पहले अपने चारों तरफ बैठे भ्रष्ट जालसाज, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. के दलालों और एजेंटों की सफाई करें, महंगाई मोदी की वजह से नहीं वरन् अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल की कीमतें कम होने से हुई है, 70 डॉलर पर पेट्रोल की कीमत 50 रु. और डीजल 40 रु. होना चाहिए, जो अभी 68 रु. है।

मप्र प्रदूषण फैलाओं और मोटी रकम चुकाओं मंडल

महाभ्रष्ट जालसाज एए मिश्रा क्षेत्रीय अधिकारी से बनाया सचिव

पूरे मप्र में हर शासकीय विभाग, निगम, मंडल, सहकारिता आदि जिन कानूनों से संचालित होते हैं। यथार्थ में वे ही कानून इन विभागों निगमों मंडलों, समीतियों आदि में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों की लूट वसूली और भ्रष्टाचार करने के हथियार हैं। यहां मप्र प्रदूषण बोर्ड, जो धन चुकाओ और भरपूर प्रदूषण फैलाओं मंडल बन चुका है, जहां धूर्त अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद शुक्ला और दूसरी और महाधूर्त, जालसाज इं. अच्युत आनंद मिश्रा जिसने इंदौर में 20-22 वर्ष क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में पूरे किए और अब मंडल का सदस्य सचिव बन पूरे प्रदेश से वसूली में जुटा है, यहां इंदौर में बैठाए गए गुप्ता से भी यहां बैठने के बदले में सचिव मिश्रा रु. 2 से 5 लाख वसूल रहा है हर माह, वहीं हाल धार, पीथमपुर, में सिधई के साथ पूरे प्रदेश के हर अधिकारी से लाखों रुपए महीने की वसूली की जा रही है। वर्तमान सचिव मिश्रा जो पीथमपुर में युनियन कार्बाइड की मिक गैस को नष्ट करने के घोर विरोध में था, दूसरा रेमकी के पास न तो पर्याप्त साधन है, न ही भस्मक इस 2600 टन मिक गैस को नष्ट करने में सक्षम है। रेमकी एक भ्रष्ट कं और जालसाज हैदराबाद की कं है जिसने केवल शासन की

पूरे प्रदेश में क्षे. अधिकारी केवल कार्रवाई की खानापूर्ति कर जुटे वसूली

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान को डकारना ही उद्देश्य रहा है। उसका भारत में स्थित किसी भी प्लांट का अंतर्राष्ट्रीय भस्मक का स्तर ही नहीं रहा, पीथमपुर के साथ ही पूरे प्रदेश से आने वाले कचरे और गुजरात से आने वाले कचरे को नष्ट करने के नाम पर निर्धारित दरों से दुगुनी-तिगुनी वसूली भी की जा रही है। यूका की मिक गैस को नष्ट करने की राजनीति में रु. 200 करोड़ का खेल है। जिसमें मुख्य सचिव, मुमं, पर्यावरण एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रदूषण फैलाओं मंडल के अध्यक्ष शुक्ला, सचिव मिश्रा की भी हिस्सेदारी है। इसलिए ये सब उस स्तरहीन रेमकी के पीथमपुर के भस्मक में कचरे को नष्ट करने के बहाने तो रु. 200 करोड़ हजम करना चाहते हैं।

इस मिश्रा के इतने काले कारनामों, भ्रष्टाचार और जालसाजी के बाद भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर इन सबने 400 से ज्यादा दाल मिल मालिकों, 500 से ज्यादा नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटलों से, 4000 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों, नमकीन वालों, औषधी निर्माताओं



से खुलकर वसूली की है। इसे मंडल का सदस्य सचिव बना दिया गया, स्वाभाविक है, अध्यक्ष शुक्ला भी जालसाजियों से इस पद पर जमें हैं। इनके हटने के बाद विजयवर्गीय इसे अध्यक्ष भी बना देंगे ताकि पूरे प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा उद्योगों से खुलकर वसूली करते रहें, दूसरी तरफ इन फैक्ट्रियों के प्रदूषण से परेशान होती रहे और मरती रहे, यूनियन कार्बाइड की गैस त्रासदी अभी प्रदेश भूला नहीं है। इंदौर के पोलोग्राउंड में इफ्का प्लेथिको, सायनों जैसी अनेकों औषधी फैक्ट्रियां केवल भारी प्रदूषण फैला रही हैं। पर इन्हें शहर के बीच से हटाने की तो दूर अब क्षे.अ. गुप्ता भी महीना वसूली कर चुप रहता हैं। यही हाल सांवेर रोड की फैक्ट्रियों का भी है।

इन फैक्ट्रियों ने भू जलते प्रदूषित कर दे दिया, ये हाल पोलोग्राउंड, सांवेर रोड से प्रदूषित

पानी बहकर जिस एमआर-10 के रेलवे ओवर ब्रिज के पास और इंदौर-उज्जैन के सड़क पर एमआर-10 की पुलिया से बहती हुई सड़ांध युक्त गंदगी, भांग्या- जाखिया गांव से आगे बढ़कर जाकर खान नदी में मिलती है, जिसका गंदा पानी सांवेर के पुल से देखा जा सकता है। परंतु इस क्षे.अ. पहले मिश्रा और अब गुप्ता ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, बेशक सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ खास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को वर्षों से नोटिस अवश्य भेजे जा रहे हैं। ताकि वसूली होती रहे और कानूनी कार्रवाई का भय बना रहे, जबकि जल और वायु प्रदूषण अधि. में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि 3 नोटिस के बाद भी यदि प्रदूषणकर्ता समुचित प्रबंध नहीं करता तो उस पर मुकदमा चलाया जाए, पर मुकदमा चला देने पा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने का सीधा मतलब है प्रदूषण के नाम से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बिचक के हाथ से निकल गई, हालात ये है कि 99 प्रश प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों ने जो इस प्रदूषण फैलाओं मंडल के भ्रष्ट धूर्तों के महीना तिमाही, छ माही

या वार्षिक देते हैं। अपने सामने फैक्ट्री के बाहर लगे कानूनी बोर्ड जिसमें नाम पते के साथ, क्या औद्योगिक गतिविधि चलती है, कितना प्रदूषण जल और वायु में फैलता है। निक्षेप कितना निकलता है, जो कि उद्योग विभाग, श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के भारतीय कारखाना अधि. 1948 व जल और वायु प्रदूषण के अंतर्गत, लगवाना आवश्यक है, या तो लगाए नहीं या लगाए थे तो निकाल कर अलग कर दिए ताकि सभी कानूनी दायित्वों से मुक्त रहें। जबकि इस कानूनी खानापूर्ति और साइन बोर्ड न लगाने जालसाजी करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 के साथ अन्य श्रम अधिनियमों, फैक्ट्री एक्ट 1948, जल और वायु प्रदूषण अधि. के अंतर्गत इन पर फैक्ट्री बंद करने बिजली कनेक्शन काटने, पट्टे की भूमि का पट्टा रद्द करने तक की कार्रवाई तक की जा सकती है। ये हाल पूरे मप्र की फैक्ट्रियों के 1 लाख से ज्यादा फैक्ट्रियों तक के हैं। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु भ्रष्टाचार और मासिक वसूली के चलते कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। इंदौर के सांवेर रोड औद्योगिक

क्षेत्र, पोलोग्राउंड, लक्ष्मी नगर, शीलनाथ कैंप, पालदा, मांगलिया से लेकर परदेशीपुरा औद्योगिक क्षेत्र, पूरा पीथमपुर, देवास, उज्जैन के देवास रोड, भोपाल के गोविंदपुरा, मंडीदीप, ग्वालियर के मालनपुर, गोले का मंदिर, जबलपुर के आधारताल, नागपुर रोड, खरगोन, खंडवा धार, गुना, सतना, कटनी, रीवा, सिहोर, मक्सी, छिंदवाड़ा आदि 51 जिलों के यही हाल है। सारे क्षे.अ. केवल वसूली में व्यस्त हैं। सारे उद्योगपति इन श्वानों को टुकड़े डालकर प्रदूषण फैलाकर मस्त हैं। भोपाल के प्रदूषण फैलाओं मंडल के मुख्यालय से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई, परंतु जालसाज श्वानों की फौज सूचना के अधिकार का मखौल उड़ाते हुए, कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती रीता कोरी को अपना अपीलेंट आफिसर बनाकर अपने ऊपर कार्रवाई करने से बचती है। जबकि जानकारी अध्यक्ष और सदस्य सचिव से मांगी गई थी, भ्रष्ट जालसाजों ने जब जानकारी नहीं दी तो अपील की गई, मालूम पड़ा पत्र से कि अध्यक्ष और सचिव की जानकारी को अपील सुनने के लिए मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त है। पूरा मंडल भ्रष्टाचार के प्रदूषण से प्रदूषित है तो प्रदेश की 7 करोड़ 30 लाख जनता को प्रदूषण से कौन बचा सकता है।

मोदी सरकार भी चुप रहेगी, पुलिस एटीएस, एनआईए व अन्य के कुकृत्यों पर

पेज 1 का शेष

जहां कि यदि उनके हाथ असली आतंकवादी लग भी जाते थे तो महाराष्ट्र में ये ही कांग्रेसी सत्ताधीश उन्हें जांच बदलवाकर, एटीएस से जमानत दिलवाने के लिए न्यायालय में ही स्वीकृति दिलवा देती थी।

अब जबकि भाजपा का शासन है, क्या उन निर्देशों को शीघ्र यथार्थ का पता लगाकर, इन सभी की न्यायालय से तीन माह में जमानत भी नहीं दिलवा सकी। बेशक कई निर्दोषों ने कई वर्षों की सजा भी काटी है। कई निर्दोषों का न केवल सजा काटना पड़ी वरन उनका समाज में मान-सम्मान तो गया, उनके घर-परिवार की बुरी तरह व पूरी तरह बर्बादी भी हो गई। वैसे भाजपा ने पूरे देश पर जिस इवीएम की जालसाजी, जिलाधीश और मु.का.अधि. पंचायतों को खरीद और विपणन के जिसमें सैकड़ों झूठों को आधुनिक प्रसार माध्यमों को खरीदकर अपने फरेबों को भी चकाचौंध के साथ प्रस्तुत कर सत्ता सुंदरी का वरण करने में सफल हो गए।

सत्ता और सत्ताधीशों का सहखों वर्ष पुराना नियम है कि सत्ता सुंदरी के आगोश में जाते ही यह भूल जाता है कि हमारे यहां पहुंचने और पहुंचाने में किसने क्या और कितना और कैसे किया है सच आदर्श जन कल्याण आदि सब निरर्थक और बकवास हैं। जैसा कि इतिहास

बताता है कि जिस चाणक्य ने पाटलिपुत्र के बिंबसार को पदच्युत कर चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया उसी चंद्रगुप्त ने चाणक्य के नीति, सिद्धांतों, आदर्शों की बात से कुपित होकर उसकी हत्या करवा दी थी। वैसे ही जिस हिन्दुवाद, राममंदिर के रथ पर चढ़कर भाजपा को सत्ता मिली, अब उसी हिन्दुवाद हिन्दू योद्धाओं को मोदी, शिवराज भूल गए, कांग्रेस ने सैकड़ों निर्दोष कार्यकर्ताओं को पुलिस, एसटीएफ, सीबीआई, एनआईए आदि एजेंसियों द्वारा एक तरफ तो वास्तविक अपराधियों, आतंकवादियों से धन लेकर पोषित कर सारे सबूत मिटाए जाते रहे दूसरी तरफ सत्ताधीशों के इशारे पर निर्दोष हिन्दुओं को जिनकी सोच तक में कभी कुछ नहीं रहा और आया उनके गिरफ्तार कर, सैकड़ों झूठे सबूतों के आधार पर मुकदमें चलाकर जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। पर हमारे चकाचौंध फैलाकर सत्ता हथियाने वाले प्र.म. मोदी की जो अपने आप को बड़ा हिन्दू राष्ट्रवादी और रा.स्व.से.सं. का कार्यकर्ता कहता और बनता है, न केवल अपने उन वास्तविक योद्धाओं की याद न आई जो न पिछले 25 वर्ष से ज्यादा समय में हुई आतंकी बम विस्फोटों में पकड़े, गिरफ्तार किए गए निर्दोषों की, जिन्होंने वास्तविकता में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था, उनकी गिरफ्तारी जांच पड़ताल की

तो अब कोई बात ही नहीं होगी, फिर जिन पुलिसियों, एनआईए, एसटीएफ, एटीएस, सीबीआई जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने सत्ता के दबाव और अपनी वसूली के लिए मुकदमा लादे थे, उनकी जांच-पड़ताल की भी मोदी, शिवराज व दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी इनकी न केवल व्यवस्था नहीं की वरन् इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, महिदपुर, शाजापुर, जबलपुर, खंडवा आदि जो कि मप्र में हैं, जहां सिमी, आईएम व अन्य आतंकी समूहों से जुड़े आतंकी आराम से न केवल फरारी काट रहे हैं वरन् यहां से पुलिस की तन-मन-धन से सेवा में भी जुटे हैं।

पुलिस अधिकारी अपराध शाखा, थानों को 70-80 प्रतिशत मामलों की खबर रहती है और खबर दी जाती है। तो वह सुनती और ध्यान ही नहीं देती है। एमआईजी थाने को खबर दी गई कि परवेज मंसूरी और गुलरेज मंसूरी जिनके पास हीरोहोंडा स्पलेंडर एमपी-41-एमई-0323 की मोटर सायकल है, जिसका रिकार्ड देवास परिवहन विभाग में भी क्यों नहीं है, जो 299 अंबेडकर नगर, इंदौर में रह रहे हैं। दो साल के बाद भी उससे आज तक पूछताछ नहीं कर पाई। मकान मालिक ने भी इन दोनों की पूरी जानकारी थाने को फोटो के साथ उपलब्ध नहीं

करवाई। गाड़ी पर पहले दैनिक भास्कर प्रेस लिखा था, जिसे हटाकर किसी पुलिसियों की सलाह पर प्रेस लिखवाकर कंपनियों को ड्रग्स बेचता है फिर अपराध शाखा के कुछ कर्मी इस ड्रग्स की जांच करने आए तब रात में भी कैसे गायब हो जाता था अर्थात हर जगह इसे भी सहयोग करने बैठे हैं। ये तो एक तिनके जैसा मामला हैं जो पुलिस अपराध शाखा के यथार्थ को व्यक्त करता है। दूसरी तरफ पूरे इंदौर, भोपाल, उज्जैन व पूरे देश के सभी शहरों में मादक पदार्थों वेश्यावृत्ति के अड्डों, भूमाफियाओं, कालोनी माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, अवैध रूप से चोरी का सोना-चांदी खरीदने वालों, सट्टे-जुओं के अड्डों, शराब के धंधे, कॉल गर्ल्स जो कि शहर की होटलों में धड़ल्ले व शान से चल रहा है। इन सब धंधों से सैकड़ों करोड़ रुपए की महीना वसूली होती है, इसलिए ऐसे अपराधियों को पुलिस स्वयं संरक्षण और पोषण करती है, ताकि पुलिस कांस्टेबल से लेकर सहा. उप निरीक्षक, सहा. उप अधीक्षक से लेकर आईजीडीजी से होता हुआ माल गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक नियमित रूप से पहुंचता रहे। अब जब सब ही अपराधियों, अवैध कारोबार करने वालों से महीना खा रहे होंगे तो स्वाभाविक है, जिसका नमक खा रहे हैं वह ही वर्दी और पद पर

शोभायमान होने का वेतन जन-धन से मिल रहा हो, पर सत्ताधीश और सरकारी कर्मचारी होने का सुख वेतन से नहीं वरन् पद और वर्दी की आड़ और दम पर मिलने वाली मोटी रिश्तत प्राप्ति से होता है, फिर भले ही न केवल अपराधियों, देशद्रोहियों, देश को लूटने और जनता को बर्बाद करने वालों को संरक्षण देने से ही क्यों न मिले, सब वर्षों से चल रहा है और लोकतंत्र यथार्थ में लूटतंत्र में चलता रहेगा।

गरीब जनता, मध्यम वर्गीय लोग जो बेचारे इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उन निरीहों को हेलमेट पहना कर, जीवन में दो वक्त की रोटी कमाओ ओर सरपट-जुओं के अड्डों, शराब के धंधे, कॉल गर्ल्स जो कि शहर की होटलों में धड़ल्ले व शान से चल रहा है। इन सब धंधों से सैकड़ों करोड़ रुपए की महीना वसूली होती है, इसलिए ऐसे अपराधियों को पुलिस स्वयं संरक्षण और पोषण करती है, ताकि पुलिस कांस्टेबल से लेकर सहा. उप निरीक्षक, सहा. उप अधीक्षक से लेकर आईजीडीजी से होता हुआ माल गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक नियमित रूप से पहुंचता रहे। अब जब सब ही अपराधियों, अवैध कारोबार करने वालों से महीना खा रहे होंगे तो स्वाभाविक है, जिसका नमक खा रहे हैं वह ही वर्दी और पद पर

सहा., उप सहायक जिलाधीश आयुक्त कैसे नियम विरुद्ध भूमाफियाओं के इशारे पर आमजन को लूटते हुए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करते हुए अवैध रूप से कॉलोनी और प्लाटों को बैंच रहे हैं।

चूंकि भाजपा नेताओं जो बड़े भूमाफिया, कॉलोनी माफिया भी हैं। मंदिर, हिन्दू राष्ट्रवाद की भावनाओं को रा.स्व.से.सं. के दम पर अपनी दुकानदारी तो जमा ली, अब सच्चे राष्ट्रवादी, हिन्दुवादी, रा.स्व.से.सं. न केवल उसके सत्ता सुख और सत्ता सुंदरी के भोग में बाधक बने हैं, अब तो दुश्मन दिखने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस के दुराग्रहों से पीड़ित सारे हिन्दू आंदोलनकारियों की सत्यता जान कर बाहर निकालना तो दूर, उल्टे ही वो गौ हत्या के विरुद्ध आंदोलनकारियों पर डंडे बरसाकर न केवल लहुलुहान उल्टे ही जेल भिजवा रही है। ये ही यथार्थ का चेहरा है मोदी और शिवराज का। सरकारी तंत्र का सवाल है तो जो भी सत्ता में चुनकर आएगा ये सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस उनके हुकूम की तालीमी करंगे वरन निरीहों का शोषणकर अपराधियों पूंजीपतियों को संरक्षण और पोषण कर मोटी रिश्तत वसूली कर पोषण करते हुए कुछ टुकड़े इन मंत्री, संत्रियों को डाल अपनी वर्दी कुर्सी को जमाए रखेंगे।

पीडीपीएल की हत्यारी फैक्ट्री सामने से बंद- अंदर उत्पादन चालू

पेज 8 का शेष

यह सिद्ध करता है कि ये भ्रष्ट हरामखोर जालसाजों की फौज इस कानून के अंतर्गत जिसमें एसडीएम भी शामिल है। प्रदेश में किस तरह जनस्वास्थ्य की परवाह किये बिना अपनी जेबों की परवाह और भरने में लगी है।

यही हाल यहां बैठे औषधि निरीक्षकों के हैं, ये औ.नि. अजय ठाकुर, अशोक गोयल, भिगोनिया और भोपाल से आने वाले वरिष्ठ औषधि निरी. शोमित कोष्टा व अन्य थोक, फुटकर औषधि विक्रेताओं, औषधि उत्पादकों से लाखों रु. महीना वसूलीकर खानापूर्ति कर भ्रष्टाचार धन हजम करते बैठे रहते हैं। जबकि यहां प्लेथिको फार्मा, सायनो, इफ्का, पीडीपीएल, प्रेम फार्मा, रेनबैक्सी, रसोमा, इनबेन जैसी लगभग 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां औषधि उत्पादन में संलग्न हैं, इसके विपरीत कितनी दवाओं के नमूने लिये गये, बस महीना मिलता रहें, जबकि औ.नि. अजय ठाकुर, अशोक गोयल दोनों ने भले ही लूटो और लुटाओ के दम पर इन जालसाज भ्रष्टों ने 5 वर्ष से ज्यादा पूरे कर लिये हों पर किसी उत्पादक फैक्ट्री में नमूने लेने तक का अभी तक कोई खास अनुभव नहीं है, जबकि यहां रसोमा लेब, पीडीपीएल इनवेन जैसी इंटरवीनस फ्लुडस की लाखों बोटल उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों की लाइन लगी हुई है, यह वही पीडीपीएल कं. है, जिसके आई.व्ही फ्लुडस से 18 औरतों की उम्मेदसिंग शास. चिकित्सालय में फरवरी 11 में मौत हो गई थी, इस पीडीपीएल की फैक्ट्री से 1991 और 1998 में भी मौतें हो चुकी है। जब इस फैक्ट्री की इस आईवी फ्लुडस की जांच हुई तो धूर्त औ.नि. आशीष त्रिवेदी, शोमित कोष्टा, एस.एन. गर्ग, अजय ठाकुर, अशोक गोयल ने रु. 5 करोड़ हजम कर उसके कलकत्ता स्थित प्रयोगशाला में जांच के नमूने को सुधारक नमूना सहा. से नमूने बदलवा दिये थे, जांच रिपोर्ट भी शायद अभी तक लंबित हैं, तब से यह फैक्ट्री सामने से ताला लगाकर सीलकर दी गई है और पीछे के दरवाजे से प्रतिदिन दो लाख बोटलों का उत्पादन कर अभी भी बिक्री जारी है। म.प्र. औद्योग. स्वा. सुरक्षा विभाग में लायसेंस बराबर नवीनीकृत किया जा रहा है, बिजली कनेक्शन चालू है, जहां 5000 से ज्यादा तीन पाली में 8-10वीं पास और अनपढ़ भी मजदूर कार्यरत हैं। मुख्य रसायनज्ञ, सहा. रसायनज्ञ की नियुक्तियां केवल कागजों पर ही हैं। हर बैच के नमूने रखने की व्यवस्था भी नहीं है। औ.नि. अजय ठाकुर रु. 10 लाख प्रतिवर्ष वसूली कर चुप है। अधिकांश मजदूरों का न्यूनतम वेतन से भी कम रु. 4 से 6 हजार प्रतिमाह का भी भुगतान किया जा रहा है, अर्थात् श्रम अधिनियमों का घोर और खुला उल्लंघन कर रही है। इसके विपरीत सभी को महीना बंटता है, इसलिए सब चुप है। दवा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तो दूर राष्ट्रीय मानकों का भी खुला उल्लंघन चल रहा है, पर धन के आगे सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों जो कि भ्रष्टाचार से वसूली कर अपनी आत्मा का गला घोट, मन से इन जालसाज औषधि निर्माताओं के सामने नतमस्तक हैं। जबकि इन औ.नि. को आईव्ही फ्लूड निर्माताओं की फैक्ट्री में हर माह जांच के लिये नमूना लेना चाहिये, पर अधिकांश औ.नि. अधिकांश सामान्य दर्द निवारक औषधियों, इल्योफेन, पेरासीटामोल आदि के नमूने लेकर आवश्यक खानापूर्ति करते हैं। वही हाल कास्मेटिक के नाम पर स्तरहीन क्रीम, पाउडर, लोशन, शॉपू आदि की चारों तरफ भरमार है, 90% सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादकों के पास ड्रग लायसेंस खास उत्पादन का पंजीयन, प्रमाण पत्र नहीं होता है। यही हाल अधिकांश बड़ी-बड़ी कं. के भी हैं। दूसरी ओर मप्र में सवा सात करोड़ की आबादी में मात्र 25-26 औषधि निरीक्षक हैं। जबकि एक लाख की आबादी पर एक औषधि निरीक्षक और खाद्य निरीक्षक होना चाहिए। उस हिसाब से 720 औषधि निरीक्षक और खाद्य निरीक्षक होना चाहिये।

परन्तु हमारी धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों को इन सबसे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो मात्र वसूली चाहिये। चाहे फिर पूर्व के खाद्य एवं औषधि निरीक्षक डी.डी. अग्रवाल हो या वर्तमान अति. प्रभार संभाले औषधि नियंत्रक पंकज अग्रवाल। फिर कोई भी प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय औषधि निर्माता कं. भी नहीं चाहती कि ज्यादा औषधि निरीक्षक हों जो हर काम नियम कानून से करें, उनकी हर लूट में, दवाई में उचित अनुचित की बात करें, उनकी अवैधानिकता पर उन्हें कानूनी कार्यवाहियों में खींचे, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यह कहता है कि मात्र 250 औषधियां ही मानव स्वास्थ्य के लिये उपयोगी हैं। इसके विपरीत हजारों प्रकार की दवाइयों से बाजार भरे पड़े हैं। जो डॉक्टरों की, औषधि निर्माताओं, विक्रेताओं की आमजन से लूट वसूली के साधन बन चुके हैं, पर सरकार तंत्र का कोई नियंत्रण कही नहीं शायद मप्र सरकार को छत्तीसगढ़ की तरह थोक मौतों का इंतजार है।

म.प्र.लो.स्वा.या.-लोक स्वास्थ्य के नाम अधिकारी सुधार रहे अपने खातों का स्वास्थ्य

लोक स्वास्थ्य के जनधन से मंत्री से उपयंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त

प्र.स. राय के आते ही प्रमुख अभियंता ने नौकरी त्यागी, मंत्री से उपयंत्री तक सभी भ्रष्ट भयभीत

म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में मुख्यालय भोपाल से लेकर 51 जिलों की तहसीलों और ग्राम पंचायतों और गांवों तक बैठे अधिकांश अधिकारी, कर्मचारी अपने बैंक बैलेंस का स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम में लगे हैं। यही कारण है कि प्रधान सचिव अश्विनी राय के आते ही प्रमुख अभियंता सेहरा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, स्वाभाविक है प्रमुख अभियंता की दौड़ में पुनः डामोर जो छह से ज्यादा हत्याओं के साथ भारी भ्रष्टाचार और जालसाज हैं, मंत्री महदेले पर धन वर्षा कर यह पद के पाने के लिये बेताब हैं, वैसे मु.अ. संकुले के प्र.अ.पद संभालने की ज्यादा संभावना है। इंदौर में बैठा मु.अ. सोनगरिया वैसे तो कुछ खास पत्रकारों को अपना भ्रष्टाचार छिपाने और दूसरे अपने मातहतों को बदनाम करने के उद्देश्य से पत्रकारों का मुंह बंद रखने के लिये लघु उद्योग निगम के आपूर्ति के आदेश बांट रहा है, फिर भी अनेकों पदों पर अटैचमेंट के माध्यम से फिर हर का.यं. जो 16-17 इसके इंदौर अंचल में हैं। महीना वसूली कर रहा है। इसके यहां लगे 3 वाहन जो इसके परिवार को सेवायें दे रहे हैं का भुगतान भी अन्य संभागों से करवा रहा है, दैनिक वेतन भोगी के नियमितकरण में इसके स्टेनो आर.के. चौहान को हटाने की नौटंकी भले ही की गई हो परन्तु सब इसकी शह पर ही वसूली की जा रही थी, समय माया मु.अ. सोनगरिया के इस भ्रष्टाचार को पहले भी छाप चुका है, पर नीचे से ऊपर मंत्री, मु.मं. तक बैठे भ्रष्टों की फौज ने मुद्दे की जांच कैसे करें? शासन के नियमों के विरुद्ध अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कहीं ओर है और रायल्टी भुगतान के दम पर कार्य कहीं ओर करवाया जा रहा है।

सूचना के अधिकार में मांगी गई शिकायतों की जानकारी में इंदौर सं. ग्रामीण में बैठा संतोष श्रीवास्तव जो पूर्व से ही भ्रष्ट था, सहा. यंत्री रहते हुए इस संभाग के साथ इंदौर संधारण खंड में भी काम किया जहां पर इसके विरुद्ध पुराने पाइपों को टुकड़े कर कबाड़ियों को बेचने के आरोप थे, अभी वर्तमान में ये हरामखोर जालसाज उपयंत्री एमके नाइक के साथ मिलकर अधिकांश अपनी भागीदारी वाली फार्मों में. वेदांता इंटरप्राइजेस, एन.बी. ब्रदर्स के साथ मिलकर सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में कर रहा है, इंदौर में बैठने और सहा. यं. कार्य. यंत्री बनने में बेशक इसने अपनी लूट की कमाई में से रु. 25 लाख से ज्यादा खर्च किये।

अब यह गांवों की नलजल योजना में टंकी निर्माण से लेकर पाइप लाइन बिछाने, मोटरों की स्थापना में हर कदम 20 से 25 % तक हजम कर रहा है। चेक डेमों के निर्माण में भी ठेकेदारों के साथ मिलकर 50% तक हजम कर लिया। इस धूर्त ने गांवों में लगने वाले हैंडपंपों, पाइप लाइन केसिंग, रॉड में भी आधा-अधूरा सामान खरीदा। वह भी 20 से 30% कमीशन पर, वर्ष भर में यह रु. 3 से 5 करोड़ हजम कर जाता है, जब सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी न देने पर अपील की गई, मुफ्त में देने के आदेश के बाद दो माह गुजर जाने के बाद भी स्टाफ न होने का बहाना बनाकर टाल रहा है, जबकि सूत्रों के अनुसार ये धूर्त, इसका उपयंत्री नाईक व अन्य सहा. यंत्री व उपयंत्री मिलकर हर माह रु. 40 से 50 लाख हजम कर जाते हैं।

पूर्व का.यं. अजय दायमा, वि.यां. खंह इंदौर और 2 नव.14 के पूर्व दायना जो कि मूल जाति से राज. ब्राह्मण था, इस लो.स्वा.यां. म.प्र. में 25 वर्षों तक आदिवासी बन फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर समय माया द्वारा उसके फर्जी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी की शिकायत पर जबकि वह

बुदनी जिला सीहोर के आधार पर उच्च न्यायालय जबलपुर से जीतकर भी आ गया था, जब जांच अपने शीर्ष पहुंचने लगी तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर विदा हो गया।

सूचना के अधिकार में उज्जैन वृत्त से जानकारी मांगी गई तो उज्जैन संभाग के धूर्त का.यं. उदिया जो न केवल भारी भ्रष्ट और जालसाज है वरन् अपनी जालसाजी छुपाने के लिये स्वयं रोकड़ भी लिखता है। सू.अ. में मांगी गई जानकारी जो अधिकतम रु. 700-800/- की थी बंदे ने रु. 55000/- जमा करने का लिखा, जानकारी की संभावित कीमत रु. 65000/- बताई, जबकि वही जानकारी दूसरे संभागों ने रु. 500-700 की बताई। यहां विद्युत यांत्रिकीय खंड से जानकारी के लिये पत्र दिया, तो पहले वापिस लेने के लिये यहां के ड्राफ्ट समन शैलेन्द्र सिंग जिसे यहां पदस्थ हुए वर्षों गुजर गये। सारे कामों में भ्रष्टाचार की धन बंदरबांट यही करता है, जब समय गुजर जाने के बाद इसकी भोपाल अपील कर दी गई, तो पत्र भेज के लिखा गया कि पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, जालसाजी स्पष्ट है, सिंहस्थ खंड और उपखंडों में भी उज्जैन में लूट-मार शुरू हो चुकी है।

इंदौर के संधारण खंड 2 में बैठा का.यं. संजीव श्रीवास्तव यदि भ्रष्ट और जालसाज नहीं होते और लूटने और लुटाने के विशेषज्ञ नहीं होता तो स्वाभाविक था इंदौर निगम से तालमेल ही नहीं बैठता। इस हरामखोर जालसाज से जानकारी मांगी गई कि कितने कार्यदेश निर्माण कार्य, सुधार कार्य के, आपूर्ति सामग्री के, संधारण के जो कार्य किये की फोटोकॉपी पत्रोत्तर में स्पष्ट लिख दिया गया यह कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाता, वही बात नर्मदा आपूर्ति के अधीक्षण यंत्री राजवाड़े से मांगी गई तो उसने का.यं. को बताया। वह सारे आदेश जारी करता है, बेशक अ.यं. राजवाड़े और का.यं. संजीव श्रीवास्तव दोनों ही नगर निगम से लेनदेन के दम पर ही सामंजस्य बैठाए हैं। अन्यथा हटा दिए जाते हैं। दोनों ही भ्रष्ट और धूर्त और जानकारी न देने के लिये एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बच रहे हैं। सूचना के अधिकार में प्राप्त चेक बुक रजिस्टर में काटे गये चेक से सिद्ध होता है कि यहां गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल की खरीदी में भ्रष्टाचार से लेकर कुछ खास फर्मों को ही हर महीने लाखों रु. का भुगतान किया जाता है, जो पैसा निगम से प्राप्त होता है जो अधिकांश सहा. यंत्री 4,5,6,7,8 रु. 5 से 10 लाख तक के चेक जारी होते हैं। स्वाभाविक है, हर भुगतान प्राप्त करने के लिये बाबु से लेकर लेखाधिकारी को भी भुगतान करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि यहां वर्षों से कुंडलीय बैठे सहा. यंत्री और उपयंत्री भी 30% से लेकर 100% तक झूठे और कमीशन तक डकार जाते हैं। फिर हर दिन संभाग और उपसंभागों में हस्तप्राप्ति पर्ची पर ही हर हजारों रु. निकालकर हजम कर लिये जाते हैं।

सूचना के अधिकार में मुख्यालय से प्राप्त शिकायतें बताती हैं कि पूरे प्रदेश के हर का.यं. से लेकर उपयंत्रियों तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इंदौर में का. यं. संतोष श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, डी.एस. पटेल व उनके मातहत, अ.यं. में सोलंकी, राजवाड़े, अशोक बघेल आदि भी जिसको जहां जैसा मौका मिल रहा है अपनी बैंकों के बैलेंस के स्वास्थ्य सुधार में लगे हैं। यहां बैठी अधिकांश महिला कर्मचारियों की हालत ये है कि वो कार्यालय में साढ़े ग्यारह बजे आती हैं और साढ़े चार बजे अपना बेग उठाकर चल देती है। जिन पर किसी भी अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं है।

म.प्र.रा. परि. वि. बंद किया- दूसरी तरफ क्षे. परि. कं. द्वारा लूट की छूट

पेज 8 का शेष

इस प्रकार क्षेत्रीय निगम बनाकर आयुक्त महापौर पु.अ. जिलाधीश, उपजिलाधीश की अगुवाई में कं. का निर्माण कर बसें किराए पर लेकर, अस्थाई वाहन चालकों को रु. 7000 से रु. 10000 महीने के वेतन पर रख परि.क. का संचालन शुरू कर दिया गया, जब इस संदर्भ में इस कं. का प्रास्पेक्ट्स अधिकृत पूंजी, पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी कंपनी अधि. 1956 की मांग सूचना के अधिकार में की गई और साथ में यह भी मांगा गया। मंत्रि परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया सूचना के अधिकार में जानकारी देवें। 8 वर्ष के बाद भी ये हरामखोर जालसाज एआईसीटीसीए के संचालक देने में और कंपनी निगम के कार्यालय में भी न ही उसको प्रदत्त किया गया इसके साथ ही इस सरकारी कं. ने 8 वर्ष बाद भी न ही कंपनी अधि. 1956 के अनुसार अपने लेखों, लाभ हानि खातों, चिट्ठा जिसमें इसकी अधिकृत प्रार्थित पूंजी, दत्त पूंजी, आय व्यय, लाभ-हानि के साथ परिसंपत्तियों को किसी भी इंदौर के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया जो खुले में कं. अधि. 1956 प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। जिसके अंतर्गत इसके सभी संचालकों की गिरफ्तारियां भी का जा सकती थी, परन्तु 7-8 वर्ष के बाद भी न तो लाभ-हानि खाते और न चिट्ठों के पते हैं। जो भी कमाई आ रही पूरी बंदरबांट में जा रही है। जबकि इनकी बसें, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, धार, पीथमपुर तक जाने लगी है। वही हाल सभी क्षेत्रीय परिवहन कं. के और टूरिस्ट निगम की है। उसमें भी इस पर्यटन निगम के होटलों और बसों में चारों तरफ लूटमार

चल रही है और करोड़ों रु. रोज झूठे खर्चों में डालकर हजम किया जा रहा है। निष्कर्ष ये है कि एक तरफ तो सरकार पूरा मप्र रा.परि. निगम का नामो निशान मिटा देना चाहता है, तो दूसरी क्यो सरकारी पैसे की होली खेलकर अरबों रु. जालसाजी कर हजम किए जाकर इन क्षेत्रीय कं. के माध्यम से सरकारी परिवहन चालन कर जन-धन और जनता से सीधा धन हड़पा जा रहा है। जालसाजी से चुनाव जीतकर लोकसभा स्पीकर बनी यहां की सांसद को भी चूँकि इस लूटपाट में करोड़ों का हिस्सा मिल रहा है, इसलिए यह भी चुप है, जबकि पूरे मप्र में पुनः मप्र सड़क परिवहन निगम को जीवित करने और सुविधाजनक बसें चलवाई जानी चाहिए। जब पूरे देश में हर राज्य सड़क परिवहन निगम चला सकता है, तो मप्र का धूर्त मुख्यमंत्री सच ही जनता का हितैषी है तो यहां क्यो पुनः मप्र रा.स. परिवहन निगम नहीं चलाया जा सकता है। निजी क्षेत्र में चलने वाली अधिकांश 35 सीटर बसें में 50 सीटें लगाकर चलाया जा रहा है, जबकि सरकार 35 सीटों का ही परमिट मिलता है फिर निजी नियमित रास्तों पर चलने वाली बसों में जानवरों की तरह टूंस-टूंस कर बसों को भरा जाता है। जानबूझकर पूर्व से चलने वाली बसें नए बस चालकों को बसें नहीं चलाने देती ताकि उनकी कमाई दुगुनी हो। जहां 40 बसों की जरूरत होती है वहां मुश्किल से 15-20 बसें मुश्किल से चलने देते हैं। ताकि क्षेत्रीय थानेदार, एसडीएम से लेकर विधायकों, सांसदों, आरटीओ कलेक्टर, कमिश्नर तक की कमाई बनी रहे, जनता परेशान होने के लिए पैदा हुई है और ये सत्ताधीश शूकरों की फौज, गिद्धों की तरह जनता को नौचने और भ्रष्टाचार में लोट लगाने।

भाजपा पूंजीपतियों की रखैल करवायेगी श्रमिकों का घोर शोषण

पेज 1 का शेष

कानूनों का उल्लंघन कर मजदूरों का शोषण कर जनता को भ्रमित कर लालच देकर लूटा है, यदि खरीदार है, हम सबकुद बँचने को तैयार हैं। पूंजीपतियों से न केवल मद्र के श्रम मंत्रालय वरन् श्रम विभाग के आयुक्त, सचिव, प्रधान सचिव और श्रम मु.मंत्री ने रु. हजार करोड़ से ज्यादा का धन डकार कर इन 16 श्रम कानूनों के पालन से मुक्ति दिलवाकर, क्या कांग्रेस से ज्यादा भूखे जानवरों की पार्टी के मुख्यमंत्री श्रम व उद्योग का व्यवसाय मंत्री ने य सिद्ध कर नहीं दिखाया कि हमें जनता और श्रमिकों के हितों में कोई मतलब नहीं, हमें तो मोटी रिश्त, धन, कमीशन दीजिए और आदेश कीजिए कि आपको क्या कैसा और कितना चाहिए। क्या श्रम कानून भू कानून, पर्यावरण कानून, सबको समाप्त कर देंगे।

उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के महाभूत आजमगढ़िया, आतंकवादी सुलेमान ने जिसके किस्से जब पूर्व में वह इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी लो.नि.वि. और ऊर्जा विभाग में था, समय माया ने पूर्व में भी प्रकाशित किए हैं कि कैसे इन शूकर ने एक हरी 9 से 75 मी. सड़के टोल संचालक को सौंप कर जनता को लूटवाया। पूरे प्रदेश में विभिन्न सड़कों जिनकी लंबाई 3000 किमी से ज्यादा थी कि दोनों किनारों के 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटवाकर वन विभाग में जमा करने के स्थान ठेकेदारों के माध्यम से बिकवाकर धन हजम किया, कैसे सड़कों के निर्माण में रु. 2000 के माध्यम से बिकवाकर धन हजम किया, कैसे सड़कों के निर्माण में रु. 2000 करोड़ से ज्यादा की गिट्टी, पत्थर और कच्ची मुरम की रायल्टी शासन को न जमा कर ठेकेदार और ये मिलकर हजम कर गया। ऊर्जा विभाग में रहते हुए कैसे सारणी के वीर सिंगपुर पाली के चलते हुए ताप विद्युत उत्पादन ठप्प करवा दिया फिर 50 पैसे रु. प्रति यूनिट की बिजली की खरीद जो रु. 5 प्रति युनिट के भाव से खरीद हर घंटे में हजारों करोड़ रुपए का कमीशन बटोरा। अब जब उद्योग विभाग में आया तो कैसे पूंजीपतियों के हितों में 17 केन्द्रीय और 3 प्रदेश के कुल 20 श्रम कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश जारी कर दिए, जहां तक मंत्री यशोधरा राजे का सवाल है, तो उसे मंत्री बनाया ही इसलिए गया कि उसकी अज्ञानता, मूर्खता और शाही टाट बाट, मौज मस्ती की आड़ में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, प्रधान सचिव केवल उसको खर स्टॉप की तरह उपयोग करते रहे। पूंजीपतियों से मोटा धन ऐंठकर, राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों, श्रमिकों बैंको में जमा जनता का धन उनके हित साधनों में समर्पित कर दें। जब तक उन्हें लाभ मिलें वो कमायें इन मंत्रियों,

संत्रियों को लुटाएँ, यदि घाटा है, मनमाफिक लाभ न मिले, अनुदानित जमीनें मिले, उनको बेचो, श्रमिकों को भगाओ, अरबों रु. बैंको का डकार कर भाग जाओ न टैक्स चुकाओ, न बिजली का बिल, सरकार जनता पर टैक्स व बिजली की कीमतें बढ़ाकर घाटा पूरा कर लेगी।

सूत्रों के अनुसार इसी आजमगढ़िया आतंकवादी सुलेमान ने श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों को भारी दहशत देकर जिन श्रम कानूनों में संशोधन, परिवर्तन और समाप्ति की व्यवस्था की उनका प्रकाशित विवरण।

उपरोक्तानुसार जैसे न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान कानून की समाप्ति का सीधार्ना अर्थ है, श्रमिकों का भरपूर शोषण करें, सप्ताह में 48 घंटे की अपेक्षा 60 से 84 घंटे काम लो, तो साप्ताहिक अवकाश भी न दो, न न्यूनतम वेतन देने, न वेतन भुगतान करो, पकड़े जाओ, शिकायत हो तो अर्थ दंड भरो और मुक्ति पाओ। श्रमिक उसका परिवार जनता जाए भाड़ में कल मरते आज मरे और दूसरे बहुत से हैं। बेरोजगार सिद्ध करती है कि ये भूखे जानवरों की पार्टी अपनी मोटी कमाई से जनता को भेड़ बकरी और जानवरों से ज्यादा कुद नहीं समझती, फिर यह तथ्य हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो चाय बँचने वाले मोदी से लेकर खेतों में काम करने वाले, झोपड़ी में रहने वाले शिवराज तक, तो येन-केन प्रकरण सत्ता में पहुँच जाता है फिर वह अतीत और भविष्य भूलकर केवल वर्तमान की सत्ता सुंदरी की चकाचौंध में, पूंजीपतियों की रखैल बन आमजन को शोषण के सारे कृत्यों को, उनके इशारे पर संपन्न करता है, यह कार्य केवल नेता ही नहीं वरन सत्ता में बैठे घोर भ्रष्ट, निक्कम मक्कार, जालसाज भारतीय प्रशोषण सेवा या आंगल भाषा में इंडियन एव्यूसिंग सर्विसेज अधिकारी भी हर कदम करते हैं।

इस बात का यथार्थ इसमें समझा जा सकता है कि सन् 2010 न्यूनतम मजदूरी भुगतान सलाहकार समिति ने रु. 226 पर 12.5 प्रश मजदूरी बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रस्ताव समिति और श्रमायुक्त सचिव से होता हुआ प्रधान सचिव तिरछी के पास पहुँचा और उसने उद्योग और व्यवसाय संगठन से मात्र रु. 1 अरब हजम कर प्रस्ताव की फाइल को दबाकर रख लिया, 3 वर्ष तक सलाहकार समिति इंतजार करती रही, जब ज्यादा हल्ला मचा तो मात्र रु. 1 प्रतिदिन की मजदूरी से बढ़ोतरी कर दी गई, जब यह बात न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति को मालूम पड़ी तो उसने फिर हल्ला मचाया कि जब केन्द्र सरकार ने ही रु. 251 प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित कर रखी है, फिर आपसे 3 वर्ष पहले 12.5 प्रश बढ़ाने की बात पर सहमति बन चुकी थी तो फिर आपने 3 वर्ष फाइल दबाकर रखने



के बाद रु. 1 प्रतिदिन कैसे बढ़ाया, अपने यथार्थ और धन हजम करने की बात खुलते देख उस हरामखोर जालसाज प्र.स. तिरछी ने रु. 251 मजदूरी निर्धारित की बात स्वीकारी। ऐसा नहीं है श्रम विभाग में सभी ईमानदार बैठे हुए हैं। पाठकों को याद होगा कि इस विभाग के अति. आयुक्त लक्ष्मीपति पाठक पर लोकायुक्त का छापा पड़ा था, जिसमें आय से ज्यादा करोड़ों रु. की संपत्ति पकड़ी गई थी। इसके विपरीत अभी तक यह धूर्त शूकर ने मोटी रकम खर्च कर मंत्री और अंतरसिंग आर्य, प्र.स. वशिष्ठ आदि को सेट कर लिया और अभी भी जालसाज अपने पद पर यथावत कार्य कर रहा है न ही निलंबन हुआ न ही न्यायालय में प्रकरण का चालान पेश किया गया जबकि छह माह से ज्यादा गुजर गया।

भवन एवं अन्य सनिर्माणकर्मकार कल्याण मंडल में पूर्व में बैठी स.आ. स्तर की अधिकारी जसमीन अली, सितारा जो कि न केवल महाभ्रष्ट और जालसाज है, जिसके ऊपर अनेकों जांचे लंबित हैं। अपने वरिष्ठों की तन, मन, धन से सेवा के चलते सहायक आयुक्त होने के बावजूद इस मंडल की कल्याण आयुक्त ही बना दी गई, जिस पर श्रमायुक्त कार्यालय के महाभ्रष्ट और जालसाजों अधिकारी आरजी पांडेय का भी वरदहस्त रहा है। इस कल्याण आयुक्त के पास पूरे प्रदेशभर के उपकर के रु. 800 करोड़ से ज्यादा के धन में से रु. 400 करोड़ से ज्यादा के धन के अफरा-तफरी और झूठे व्हाउचरों से हजम करने के आरोप हैं। जब सूचना के अधिकार के एक पत्रकार ने जानकारी मांगी तो जानकारी देने में आनाकानी की, पर जब पत्रकार नहीं माना तो षडयंत्रपूर्वक उसको बुलवाकर इसके कार्यालय के श्रमाधिकारी और निरीक्षकों से न केवल पिटवाया वरन उस पर छेड़छाड़ और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाकर उसे जहांगीरबाद थाने में बंद करवा दिया। वहां के थानेदार को तत्काल रु. एक लाख देकर उस पर अनेकों धाराओं में केस लगवा दिया जबकि 7 अक्टू. 14 को उस पत्रकार को जानकारी देने के बहाने बुलवाकर, जैसे ही उसके मातहतों ने उसे मारना पीटना शुरू किया वैसे ही ये कार्यालय से निकलकर मंत्रालय पहुँच चुकी थी। वैसे भी यह अधिकारी और उसके पति की गतिविधियाँ विभागीय सूत्रों के



अनुसार शुरू से ही संदिग्ध रही है। इसका पति शुरू से इसके लेन-देन के एजेंट की भूमिका निभाता रहा है। सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में श्रम मंत्री अंतरसिंग आर्य की दोहरी भूमिका रही। मद्र शासन के इस मान्यता प्राप्त पत्रकार का उपयोग अंतरसिंग आर्य ने इस कल्याण आयुक्त पर दबाव बनाने के लिए उससे जानकारी मांगने के लिए किया तो दूसरी तरफ अपने विभाग की इस महिला से संबंधों और वसूली से संबंधों और वसूली के चलते इस अधिकारी को भी मुक्त हस्त से कार्य करने की छूट दे रखी थी, ताकि वो खए तो मंत्री को भी खिलाए।

फिर इस विभाग के भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां इंदौर संभाग के सहा. श्रमायुक्त के पद पर बैठे उदे जो रु. 8 से 10 लाख महीना कमाता है और 3 वर्ष से ज्यादा समय से इंदौर में जमा हैं वसूली

और भ्रष्टाचार की कमाई के चलते दो बार उपायुक्त की पदोन्नति लेने से मना कर चुका है। मंत्री, संत्री, प्र. संत्री आदि के इंदौर प्रवास के दौरान सारे खर्चे उठाता है, स्वाभाविक है कि ये और इसके श्रमाधिकारी व निरीक्षक दोनों हाथों से उद्योगपतियों को श्रमिकों के दम पर ही महीना बांटते हैं। बेशक पूरे प्रदेश में और देश में 56 श्रम कानूनों के दम पर ही निरीक्षक, श्रमाधिकारी, सहा.श्रमायुक्त, उपायुक्त, आयुक्त, सचिव, प्र.स. तक सब जब जैसा मौका मिल जाए वसूली कर उद्योगपतियों को बचाते हैं।

निष्कर्ष है, जब पूरे विश्व में श्रमिकों का घोर शोषण किया जा रहा था, तब ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नींव रखी गई और इस संगठन ने ही पूरे विश्व के साथ भारत में भी इन श्रम कानूनों को लागू करवाने में 1920 में ही अंग्रेजों पर दबाव डालकर इसे लागू करवाया था। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने भी इन श्रम कानूनों की छेड़छाड़ किए बिना शक्ति से लागू करवाकर श्रमिक हितों में कार्य किया, इसके विपरीत भाजपा के मोदी और शिवराज ने मिलकर श्रमिकों के विरुद्ध न केवल षडयंत्र रच कर पूंजीपतियों से मोटी रकम हजम कर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के लिए श्रमिकों के शोषण का मार्ग प्रशस्त करते हुए। 16

महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के पालन से ही मुक्ति प्रदान कर दी, बस इनके मस्तिष्कों में पूंजीपतियों से मोटी वसूली कर उन्हें कैसे सुविधाएं प्रदान करें इसका ही ख्याल रहता है, जबकि इन धूर्त जालसाजों को यह भी सोचना चाहिए था कि जब इतने श्रम कानूनों के चलते भी जालसाज उद्योगपति इतना शोषण कर रहे हैं तो कानून खत्म करने के बाद शोषण विद्रोह में बदल कर क्या हाल करेगा, इन्हें कम्युनिस्ट चीन की औद्योगिक क्रांति दिख रही है। ये इस लोकतंत्र में भी इसे लागू कर भारत में भी औद्योगिक क्रांति का सपना देख रहे हैं। जबकि आजादी के बाद नेहरू गांधी ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी, वही कारण था कि हम विश्व में हर 5-7 वर्ष में आने वाली मंदियों के दुष्प्रभावों से न केवल बचे रहे वरन् हमारे यहां ऐसी बेरोजगारी भी नहीं फैली, परंतु जालसाजी से चुनाव जीतने वाले इन सावन के अंधों को वह सबकुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें तो पूंजीपतियों राक्षसों की चरणरज चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं। इससे इन जालसाजी से चुन कर आए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की मंशा साफ झलकती है कि पूंजीपतियों तुम हमें धन दो, हम तुम्हें हर जालसाजी, लूट, वसूली, शोषण के विरुद्ध हर कानून से आजादी देंगे।

शासन द्वारा जारी पत्रक जो वैश्विक निवेशक सभा में पूंजीपतियों को आकर्षित करने के लिए बांटा गया

श्रम कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन

- मद्र शासन द्वारा श्रम कानूनों ने वर्षों पुराने प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण करते हुए इनमें समयानुकूल परिवर्तन किया जा रहा है। श्रम कानूनों में प्रस्तावित इन संशोधनों से जहां एक ओर प्रदेश में उद्योगों को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के हित संरक्षण व हित संवर्धन के साथ-साथ उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- 17 केन्द्रीय तथा 03 प्रादेशिक इस प्रकार कुल 20 श्रम कानूनों में संशोधन प्रस्तावित।
- भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के निर्धारण के समय 'प्लॉट एवं मशीनरी' को निर्माण लगात से पृथक करना प्रस्तावित।
- 05 श्रम कानूनों- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार, अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मकार अधिनियम एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्ति हेतु डीमड प्रावधान। लायसेंस/रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय-सीमा में जारी नहीं करने पर स्वतः जारी माना जाएगा।
- स्थापनाओं में श्रमिकों के ओवर टाइम की अवधि में वृद्धि। त्रैमास में ओवरटाइम के घंटे 75 से बढ़ाकर 125।
- 100 के स्थान पर अब 500 श्रमिक होने पर ही ले-ऑफ, छटनी या बंदीकरण के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। 300 से कम श्रमिकों वाली स्थापनाओं के श्रमिकों को बेहतर छंटनी मुआवजा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तीन माह का नोटिस एवं तीन माह का वेतन अलग से दिए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस संशोधन से नियोजक 100 से अधिक श्रमिकों को नियमित रोल पर लिए जाने हेतु प्रोत्साहित होंगे।
- मद्र औद्योगिक नियोजन स्थाइ आदेश अधिनियम 20 के स्थान पर 50 श्रमिक होने पर लागू।
- गुमाश्ता स्थापनाओं (जिनमें 10 से कम श्रमिक हैं) को अनावश्यक निरीक्षणों से मुक्ति। निरीक्षण केवल श्रमायुक्त की पूर्व अनुमति से।
- कारखाना अधिनियम अंतर्गत मुकदमे की अनुमति का अधिकार निरीक्षक के स्थान पर अब श्रमायुक्त को।
- माइक्रो इंडस्ट्रीज को 09 श्रम कानूनों- संविदा श्रम, कारखाना अधिनियम (गैर-खतरनाक), अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार, श्रम विधि (विवरणी और रजिस्ट्रर से छूट) अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाइ आदेश), मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि, विक्रय संवर्धन कर्मचारी, व्यावसायिक संघ अधिनियम से छूट। इनमें निरीक्षण भी श्रमायुक्त की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। इनमें कार्यरत श्रमिकों के वेतन, ग्रेज्युटी, बोनस, ईएसआई भविष्य निधि आदि के प्रावधान यथावत।
- 07 श्रम कानूनों- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाइ आदेश), श्रम विधि (विवरणी और रजिस्ट्रर से छूट) अधिनियम, न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान, समान पारिश्रमिक, विक्रय संवर्धन कर्मचारी अधिनियम में कम्पाउंडिंग का प्रावधान, जिससे सजा के स्थान पर केवल अर्थदंड भरना होगा।
- 16 श्रम अधिनियमों अंतर्गत संधारित की जाने वाली 61 पंजियों (रजिस्ट्ररों) के स्थान पर 1 एकजायी पंजी और 13 विवरणियों (रिटर्नर्स) के स्थान पर केवल 2 वार्षिक रिटर्न।
- महिला सशक्तिकरण एवं महिला श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रात्रि पाली में उनके कार्य करने पर प्रतिबंध समाप्त करना प्रस्तावित है, किन्तु उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित शर्तों का पालन नियोजक को करना होगा।
- शपथ पत्र के स्थान पर केवल घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बंद करो विद्युत कं. फ्रेंचाइजी, सफेदपोश डकैती व जालसाजी के अड़े

दुगुने से 10 गुना बिल और मनमानी विद्युत कटौती

पूरे प्रदेश में और देश में जबसे विश्व व्यापार संगठन ने मोटे कमीशन को लालच देकर पूरे राष्ट्र के राज्य के विद्युत मंडलों को भंग कर उससे शास. अधिपत्य समाप्त कर कं. में बांटने का षडयंत्र इसलिए ही किया गया था, ताकि विदेशी कं. उसे औने पौने में खरीदकर जनता से भारी लूट करती रहे, इसके लिए पूरे देश के अधिकांश राज्यों में मंडल की चलती हुई बेहतरीन लाभप्रद व्यवस्था को नष्ट करने के लिए वहां सबसे पहले धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के भ्रष्ट गिद्धों को अध्यक्ष पद पर बैठाकर खुली लूटपाट की छूट देकर उसे घाटे में लाया गया, फिर बेहतर प्रबंधन की आड़ में कंपनी में बांटकर वहां पर भी इन भ्रष्ट भा.प्र.से. के शूकरों की जमात को पदस्थ किया गया जिसे विद्युत की अ ब स द नहीं आती थी, क्योंकि न ये इंजीनियर थे, न श्रेष्ठ प्रबंधक थे, जिनका एक ही काम है कि व्यवस्थाओं को गाली देकर हड़काना, लूटना, डकारना और पिछाडु हाथ पोछकर चल देना, वैसे यहां बैटाने का उद्देश्य था एक तरफ जनता को लूटो और दूसरी तरफ कं. को ताकि एक तरफ जनता त्राहि-त्राहि करे दूसरी तरफ बैठे हुए इंजीनियर अधिकारी ताकि आसानी से निजीकरण कर, सत्ताधीश मोटा कमीशन डकार कर इन जन-धन से विद्युत व्यवस्थाओं मंडल और उसकी खर्चों की संपत्तियां आसानी से 10-20 प्रश में पहले क्षेत्रीय पूंजीपतियों को फिर विदेशी पूंजीपतियों को सौंप दें। अभी दूसरे क्रम का कार्य ये मक्कार धूर्त आईएस लॉबी मप्र में कर रही है, जनता को त्राहि-त्राहि करवाने के लिए इन जालसाजों ने हर वर्ष दो

ग्रिड से परेशान, रखरखाव, खरीदी से प्र.स. से लेकर उपयंत्रियों, लाइनमेन व सब लूटने में व्यस्त, निजीकरण ने उपभोक्त को लूटा और कटौती से हैरान कर रही

तीन बार बिजली की कीमतें बढ़ाने के षडयंत्र के साथ ही दुगुने तिगुने से लेकर 10 गुना तक बिजली बिल तो दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश की जल ताप विद्युत को दूसरे प्रदेशों में एक तरफ मोटा कमीशन हजम कर जनता को आपूर्ति वह भी आधी अधूरी की जा रही है, जो रखरखाव वर्ष में अप्रैल मई में होता है। उस रख-रखाव के नाम पर जब इंदौर जैसे महानगर में ये शूकरों की फौज दिन में 2-3 बार से लेकर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 10 से ज्यादा बार कटौती कर रही है। बिजली के उपकेन्द्रों, वितरण केन्द्रों, 66केवी, 132 केवी तक के विद्युत केन्द्रों पर ये भ्रष्ट शूकर प्रबंध संचालक निजी क्षेत्रों की सेवाएं ले रहे हैं। बाबुओं, अधिकारियों, उपयंत्रियों से लेकर सहा. यंत्रियों तक की भर्तियां करने की अपेक्षा अधिकांश कार्य निजी क्षेत्रों में सौंपने और मोटा कमीशन हजम करने में लगे हैं। हालात ये हैं कि रखरखाव के नाम खुलकर खरीदी के बिलों का फर्जी भुगतान हजम किया जा रहा है जबकि रखरखाव आवश्यकता से मात्र 25 प्रश कर काम चलाया जा रहा है। लाइनों का रखरखाव, खंभों की पुताई, ट्रांसफार्मरों में तेल का बदलन आदि का कार्य भी न केवल समय पर पूरा तो दूर 25 प्रश भी पूरा नहीं हो रहा, नई लाइनों में खंभों का स्तर इतना घटिया है कि वो न केवल लाइनों का भार उठाने की तो दूर खाली भी ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र

में विद्युत कटौती बिना बताए 12-15-20 घंटे तक की जा रही है और प्रदेश के कई गांवों में 2-3 दिन तक भी विद्युत प्रदाय, रखरखाव के नाम चोरी के बिल जमा न होने की आड़ में की जा रही है। जबकि प्रदेश के छपास के भूखे मु.मं. ने अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत जिलों से लेकर 24 घंटे निर्वाध आपूर्ति का न केवल वादा किया था वरन् बड़े-बड़े जनधन से विज्ञापन, पोस्टर, टीवी, समाचार शृंखला पर भी अरबों रु. खर्च किए थे। यथार्थ इसके विपरीत यह था कि वह केवल चुनावी नौटंकी थी और चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की और गिनती की जालसाजियों से जीतना निश्चित ही था क्योंकि चुनाव इस इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधि. लॉबी की खुशी, गम, गुस्से पर निर्भर करता है, वो किसको जिताएंगे किसका हरायेंगे ये क्रिकेट सट्टे की तरह फिक्सिंग का मामला बन चुका था। मप्र ऊर्जा नियामक आयोग जिसका अध्यक्ष पूर्व का मुख्य सचिव महाभ्रष्ट जालसाज राकेश साहनी है जो जनता की शिकायतों को तो बहाने ढूंढकर हवा में उड़ा देता है परंतु विद्युत कं की हर बात जिसमें मुख्य रूप से बिजली कं. की शिकायतें कीमतें बढ़ाने की ही सबसे बड़ी नौटंकी कर कीमतें अवश्य बढ़ाने का रास्ता बना देता है। अब यह नौटंकी करने की अपेक्षा बिजली केन्द्रों सीधे ही बिलों दुगुना बढ़ा दिया। वैसे वह नौटंकी भी फिक्सिंग थी, इसके विरुद्ध लाखों उपभोक्ता चुपचाप इस लूट

के स्वीकार कर बिल भर रहे हैं। जहां रु. 250/- 300/- का बिल आता था अब सीधे ठंड के कारण कम खपत होने पर भी सीधे रु. 600, 700 तक आने लगे हैं। दूसरी तरफ ये प्र.स. के रूप में बैठे आईएस आहूजा को भी तीन वर्ष से ज्यादा हो गया, परंतु इसे इतनी फुर्सत नहीं मिली की जिन उपकेन्द्रों पर मीटर रीडर, लाइन मेन, उपयंत्र 15-15 वर्षों से बैठे हैं। उन्हें स्थानांतरित कर सके जो पूरी-पूरी बस्तियों से महीना वसूला कर जानबूझकर चोरी करवा रहे हैं और कुल खपत के आधे से भी कम के बिल भेज रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रानिक मीटर जो 50 से 200 प्रश तक तेज रीडिंग दिखाते हैं। जानबूझकर इसीलिए लगाए जाते हैं। अर्थात् ये शूकरों की फौज आई.ए.एस. को शीघ्र इन कं. से बाहर कर कं. को समाप्त कर पुनः पूरे राष्ट्र में तमिलनाडु की तरह मंडलों को पुनर्स्थापित किया जाए और फ्रेंचाइजी बांटने और जनता को लूटने का यह तमाशा बंद किया जाए इसके विरुद्ध दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी हुआ है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी पूंजीपतियों की रखैल बन नाचना बंद कर विश्व व्यापार संगठन की पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. के शोषण के षडयंत्र को समाप्त कर भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को लागू कर राष्ट्र की संपत्तियों, जिसमें जनता का धन लगा है, जो राष्ट्र की समृद्धि का आधा है की न केवल सुरक्षा, सम्मान, करते हुए सुदृढ़ बनाए ताकि राष्ट्र की स्थिरता के साथ जनता का भी विकास होता रहे। अन्यथा पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. का शोषण की कुंठा राष्ट्र बर्बादी के कगार पर ला खड़ा करेगी।

मु.मं. चौहान दोमुहां- कथनी कुछ-करनी कुछ

म.प्र.रा. परि. वि. बंद किया- दूसरी तरफ क्षे. परि. कं. द्वारा लूट की छूट

सत्ता व जन-धन बाप की जागीर, जनता जानवर जैसे चाहे हांके-जोते

मप्र का मुख्यमंत्री शिवराज शक्ल से भले ही भोला-भाला दिखता हो अपने आपको निहायत ईमानदार बनने की व दिखने की नाकाम कोशिश भी करता है। परंतु इसके विपरीत पिछले 10 वर्षों के शासन काल में उसकी जनता को बातों से भ्रमित कर दोनों हाथों से न केवल भ्रष्टाचार कर रहा है, वरन वास्तविकता में पूंजीपतियों की कठपुतली बन उनके हितों को पोषित जनहितों को अनदेखा कर यथार्थ में जन शोषण में लगा हुआ है। पूंजीपतियों के लिए न केवल भूमि कानून, विद्युत कानून, श्रम कानून बदले गए व गरीबों का अप्रत्यक्ष रूप से कैसे घोर शोषण किया जाए, इसकी भी व्यवस्था में न केवल प्रशासन वरन ये हरामखोर जालसाज भाजपा मंत्री और संत्री भी आंच भींच कर हर कदम जुटे हुए है।



किया जाए इसके विपरीत चूँकि अधिकांश भाजपाई विधायकों, मंत्रियों, नेताओं की, कांग्रेसियों के साथ ही पुलिसियों, निरीक्षकों, सहा. उप अधीक्षकों, अधीक्षकों, सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों की ही बसें निजी बसें पूरे मप्र के साथ ही पूरे देश के अन्य राज्यों में सीधे या बड़े ट्रेवल संचालकों के साथ दौड़ रही है। जो जनता तथा प्रदेश के यात्रियों से न केवल दुगुना किराया वसूल रही है, वरन् महिला यंत्रियों के साथ छेड़छाड़ से लेकर सामूहिक बलात्कार की घटनाएं तक संपन्न होती है। डरा धमकाकर और मारापीटी कर दबा दिया जाता है। 99 प्रश घटनाओं में चूँकि परमिट पर चलने वाली 93 प्रश गाड़ियों का क्षेत्रीय थानेदार से लेकर

कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आरटीओ तक को पैसा बंटता है, तो भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और जहां तक आवेदनों का सवाल है तो सैकड़ों छोटे-बड़े अपराधों के आवेदन, आवेदक के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। जबकि 99 प्रश महिला यात्रियों को ये कंडक्टर व बसों में चलने वाले दो तीन सहायक बदन पर हाथ फैरने से लेकर दबाने और शाम ढलने से लेकर सुबह तक यात्रा करने का खिचों के साथ लंबी यात्रा में बलात्कार तक करते हैं। दूसरे व सहायत्री यदि कुछ कहते हैं तो मारापीटी तक की जाती है। यह रोज का निजी बसों का कारोबार पर इस धूर्त मक्कार मु.मं. शिवराज को इससे क्या फर्क पड़ता है, जनता रोये, गाये या मरे। दूसरी ओर ये ही धूर्त प्रशासनिक अधिकारी जिसमें पर्यटन मंत्रालय भी शामिल है। इंदौर से जेएनआरयूपम के अंतर्गत मिले पैसे से नगरीय विकास के नाम पर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट कार्यलि. के नाम से वही हाल भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आदि में भी इस पैसे के अरबों रु. का धन ऐसी कंपनियों में विनियोजित करा दिया गया। (शेष पेज 10 पर)

खाद्य एवं औषधि विभाग कानूनों की आड़ में वसूली और जालसाजियां

पीडीपीएल की हत्यारी फैक्ट्री सामने से बंद- अंदर उत्पादन चालू

तंबाखु गुटका पाउचों के केस न्यायालय में लगाने की अपेक्षा मोटी वसूली कर खाद्य निरीक्षकों और एसडीएम रविन्द्र सिंग ने हड़पी मोटी रकम, सूचना अधिकारी में जानकारी देने से साफ मना किया, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक जुटे हैं मात्र महीना वसूली में

इंदौर। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की भ्रष्टाचार, वसूली, लूट और जालसाजियों की प्रदेश की सबसे बड़ी परसंदीदा चारागाह हैं, यहां आने के लिये और जमे रहने के लिये कोई लाखों और कुछ पदों के लिये करोड़ों रु. भी खर्च किये जाते हैं। जिसमें जिले के जिलाधीश, आयुक्त, एस.पी. आई.जी., आरटीओ, आबकारी सहा. आयुक्त और उपायुक्त के पद भी शामिल हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि खाद्य एवं औषधि विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सह खाद्य निरीक्षक, औषधि निरीक्षक 3 वर्षों से ज्यादा समय से यहां कुंडली मारे बैठे हैं तो वे भी महीना, त्रिमाही, छःमाही, यहां बैठने की वार्षिकी अपने मुख्य चिकि. अधि. सह उपसंचालक से लेकर मुख्यालय स्थित खाद्य एवं औषधि नियंत्रक को चुका रहे हैं। जब चुका रहे हैं तो वसूली भी कर रहे हैं। यही कारण है कि चारों तरफ मिलावटी, स्तरहीन, अस्वास्थ्यकर घी, तेल, दूध, दही से लेकर मसालों, चाकलेट, बिस्कुट, डबल रोटी, मिठाइयां, नमकीन, आइसक्रीम, पानी की बंद बोतलें, शीतल पेय, बर्फ आदि अधिकांश खाद्य पदार्थों की बिक्री इन हरामखोरों को महीना बांट कर हो रही है, जिसे 5 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैसे 25000 से ज्यादा दुकानों की निगरानी, नमूने लेने उनके विरुद्ध प्रकरण लगाने का काम कर सकेंगे, वैसे खानापूर्ति, नमूने लेने की रस्म अदायगी से बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। यथा भय बना रहता है, तो वसूली बराबर मिलती रहती है, जन-धन से सरकार जो वेतन दे रही है, उसका कर्तव्य पालन हो जाता है, बेशक वर्तमान में

लागू कानून खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06 जो बहुराष्ट्रीय कं. की लाभ की सुरक्षा के साथ ही इस राष्ट्र की खाद्य व्यवस्था बिगाड़ने, जनता का स्वास्थ्य बिगाड़ उन्हें अपनी दवायें बेचने अपने व्यापारिक हितों को साधने और देश की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रद खाद्य व्यवस्था को नष्ट कर यहां के खाद्य व्यवसाय को नष्ट करने बनाया गया था, उसमें 10% तक ये सफल भी रहें। इस कानून के अनुसार सारे तंबाखु, गुटका पाउचों को पकड़कर सीधा न्यायालय में पेश करने और प्रकरण पंजीबद्ध कर मुकदमा चलाने की व्यवस्था है, पर इन जालसाज भ्रष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारियों जिसमें सुभाष खेडकर, अमित वर्मा, स्वामी, ज्योति बघेल, वैशाली सिंग आदि सबने तंबाखु गुटके पकड़े। नमूने लिये पर किसी ने भी कोई भी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा, धूर्त एसडीएम के साथ मिलकर सारे मामले लेन-देन कर निपटा दिये गये। वैसे एसडीएम रविन्द्र सिंग अपने भ्रष्टाचार के लिये पूर्व से ही कुख्यात है। इसी प्रकार लूट का धन खर्च कर रविन्द्र सिंग आईएस बन वर्तमान में बड़वानी जिलाधीश हैं। क्या इन जालसाजियों की जांच करवाकर इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी जो कि आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा में अवैधानिक कृत्य है, धारा 217 और 218 में भी आपराधिक कृत्य में सजा के पात्र हैं। जब सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो साफ मना कर दिया गया कि ऐसी कोई जानकारी संघारित नहीं की गई, (शेष पेज 10 पर)